599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21.5.42
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi]

2397 (ai) LSD—1.

विषय-सूची

अंक १३—बुधवार, २६ फरवरी, १९६४/७ फाल्गुन १८८५ (शाक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		९४३—६४
*तारांकित प्रश्न संख्या		
३०४	दास जाच आयोग	९४३—४६
३०६	आर्थिक सेवा "पूल"	९४६
३०७	प्राच्यविद्याविशारदों की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस	९४६—४९
३०८	समवर्ती विषय के रूप में शिक्षा	९४९—५१
३०९	विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर	९५१—५३
३१०	अखिल भारतीय सेवायें परीक्षा पद्धति	९५३—५६
३११	रूस के शिष्टमंडल की भारत यात्रा	९५६—५७
३१२	दिल्ली में यातायात गतिरोध संबंधी समिति	९५७—५८
३१३	राज्यों में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	९५८—६१
३१४	सूर्य की गतिविधि के संबंध में अध्ययन	९६१—६३
३१५	भारत को तेल संबंधी रियायत	९६३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		९६५—९९
तारांकित प्रश्न संख्या		
३०५	हरिजनों की आवास समस्या	९६५
३१६	योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां	९६५
३१७	अनुसूचित जातियां तथा अनसूचित आदिम जातियां	९६६
३१८	शिक्षा मंत्रालय में मितव्ययता	९६६—६७
३१९	रूस में हिन्दी का अध्ययन	९६७—६८
३२०	सिराजद्दीन एंड कम्पनी का मामला	९६८
३२१	विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक	९६८—६९
३२२	मद्य निषेध संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति	९६९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 13—Wednesday, February 26, 1964/Phalguna 7, 1885 (Saka)

	Subject	PAGE
	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	943—64
**Starred Questions Nos.*		
304	Das Commission of Inquiry	943—46
306	Economic Service Pool	946
307	International Congress of Orientalists	946—49
308	Education as a Concurrent Subject	949—51
309	Standard of University Education	951—53
310	All India Services Examination System	953—56
311	Soviet Delegation's Visit to India	956—57
312	Committee on Traffic Congestion in Delhi	957—58
313	Three-Year Degree Course in States	958—61
314	Observations on Sun's behaviour	961—63
315	Oil Concession for India	963—64
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—	965—96
Starred Questions Nos.		
305	Housing Problem of Harijans	965
316	Merit-cum-Means Scholarships	965
317	S. C. & S. T.	966
318	Economy in Education Ministry	966—67
319	Teaching of Hindi in Russia	967—68
320	Serajuddin & Co. Affairs	968
321	Indian Scientists serving Abroad	968—69
322	Central Advisory Committee on Prohibition	969

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२३	मद्य निषेध . . .	९६९—७०
३२४	हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापन में सुधार	९७०—७१
३२५	दिल्ली में प्लाटों की नीलामी . .	९७१—७२
३२६	दिल्ली में पुलिस थाने में एक व्यक्ति की मृत्यु	९७२
३२७	तकनीकी अध्यापक . .	९७२
३२८	हिन्दी का प्रयोग .	९७३

अतारांकित प्रश्न संख्या

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५९६	मैसूर के अपंग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां	९७३
५९७	मैसूर का शिक्षात्मक विकास	९७३
५९८	मैसूर में युवक होस्टल	९७३—७४
५९९	मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएं	९७४
६००	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	९७४
६०१	छुट्टियों का निर्धारण .	९७४—७५
६०२	आनुष्ठानिक कार्यों के लिए संस्कृत का प्रयोग	९७५
६०३	केन्द्र : केरल राज्य के अधिकारी	९७५
६०४	दक्षिण भारत में सोडा बनाने का संयंत्र	९७५—७६
६०५	"उड़ीसी" नृत्य . .	९७६
६०६	ऊपरी आसाम क्षेत्र में तेल की खोज	९७६
६०७	दिल्ली में मकानों की बिक्री तथा निर्माण .	९७७
६०८	राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्तियां . .	९७७
६०९	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का निलम्बन	९७७—७८
६१०	चोर बाजारी करने पर गिरफ्तारियां .	९७८
६११	केरल समुद्री तट पर तेल का सर्वेक्षण	९७८
६१२	मिट्टी का तेल .	९७८—७९
६१३	घटिया किस्म का मिट्टी का तेल .	९७९
६१४	अपराध करने संबंधी अनुसंधान . .	९७९
६१५	दिल्ली के स्कूलों के लिए दुग्ध चूर्ण और चीनी	९७९—८०
६१६	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	९८०
६१७	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना . .	९८०
६१८	राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और उप-कुलपतियों का सम्मेलन .	९८०—८१
६१९	बिहार में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम .	९८१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
323	Prohibition	969—70
324	Improvement in Teaching of Hindi and English	970—71
325	Auction of Plots in Delhi . .	971—72
326	Death of a Person in Police Station in Delhi	972
327	Technical Teachers .	972
328	Use of Hindi	973
596	Scholarships to the Physically Hindicapped from Mysore .	973
597	Educational Development of Mysore	973
598	Youth Hostels in Mysore . .	973—74
599	Writ Petitions in Mysore High Court	974
600	Child-lifting in Delhi	974
601	Determination of Holidays . .	974—75
602	Use of Sanskrit for Ceremonial Purposes .	975
603	Kerala State Officers in Centre .	975
604	Soda Ash Plant in South India	975—76
605	" Odissai "	976
606	Oil Exploration in Upper Assam Area .	976
607	Construction and sale of Houses in Delhi .	977
608	National Fellowhips	977
609	Suspension of All India Service Officers . .	977—78
610	Arrests for Blackmarketing	978
611	Survey of oil in Kerala Sea Coast .	978
612	Kerosene	978—79
613	Inferior Quality Kerosene .	979
614	Research on Crime Prevention . . .	979
615	Milk-powder and sugar for Delhi Schools.	979—80
616	Free and Compulsory Primary Education. .	980
617	National Loan Scholarships Scheme . .	980
618	Conference of State Education Ministers and Vice- Chancellors	980—81
619	Pay-Scales of University Teachers in Bihar . .	981

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६२०	भारत प्रतिरक्षा नियम	६८२
६२१	जासूसी . . .	६८२
६२२	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना . . .	६८२—८३
६२३	कारों तथा टैक्सियों की चोरी .	६८३
६२४	विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान .	६८३—८४
६२५	बच्चों के लिये निवासी स्कूल	६८४
६२६	लुनेज क्षेत्रों में तेल की खोज	६८४—८५
६२७	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	६८५
६२८	सेना की वर्दियां . . .	६८५—८६
६२९	पिछड़ेपन के लिये आर्थिक कसौटी . .	६८६
६३०	लक्ष्मीबाई कालिज आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	६८६
६३१	सुहागपुर (म० प्र०) में "विराट मन्दिर"	६८६
६३२	भारतीय प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता . .	६८६—८७
६३३	स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां	६८७
६३४	पंजाब में अनुसूचित जातियों का कल्याण	६८७
६३५	इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम	६८८
६३६	आदिम जाति कल्याण के लिए अट्टापाड़ी योजनायें	६८८
६३७	खेलों को मान्यता . .	६८८
६३८	दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवाद निदेशालय . .	६८९
६३९	केरल में योग्यता एवं साधन के आधार पर छात्रवृत्तियां	६८९—९१
६४०	आंध्र प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित	६९१
६४१	विश्वविद्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	६९२
६४२	दिल्ली के स्कूलों में ऐच्छिक विषय	६९२
६४३	जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी	६९३
६४४	हरिजन कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	६९३
६४५	अनुसंधान के लिये सहायता .	६९३
६४६	राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें	६९४
६४७	विश्वविद्यालयों में डाक द्वारा शिक्षा	६९४
६४८	स्त्री शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद्	६९४—९५
६४९	निकोबारी खोपरे का मूल्य	६९५
६५०	लक्कदीव द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी के लिये सलाहकार बोर्ड	६९५
६५१	डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति . . .	६९६

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
620	Defence of India Rules	982
621	Espionage .	982
622	National Loan Scholarship Scheme .	982—83
623	Theft of Cars and Taxies	983
624	Smoking amongst students .	983—84
625	Residential Schools for Childern	984
626	Oil Exploration in Lunej Areas	984—85
627	Trombay Fertilizer Factory	985
628	Military Uniforms .	985—86
629	Economic Criteria for Backwardness . .	986
630	Laxmibai College of Physical Education, Gwalior	986
631	Virat Mandir in Suhagpur (M.P.) . .	986
632	Indian Institute of Management, Calcutta . .	986—87
633	Commonwealth Scholarships for Post-Graduate Studies	987
634	Welfare of S.C.s in Punjab . . .	987
635	Syllabus for Engnieering Education	988
636	Attapady Schemes of Tribal Welfare	988
637	Recognition to Games . . .	988
638	Translation Directorate in Delhi University	989
639	Merit-cum Means Scholarships in Andhra .	989—91
640	Political Sufferers of Andhra Pradesh	991
641	International Standards of Universities	992
642	Optional Subjects in Delhi Schools	992
643	Officers from J. & K.	993
644	Central Advisory Board on Harijan Welfare	993
645	Aid for Research . .	993
646	Concessions to Political Sufferers . .	994
647	Correspondence Courses in Universities] .	994
648	National Council for Women's Education	994—95
649	Price of Nicobarese Copra . . .	995
650	Advisory Board for Minimum Wages in Laccadive	995
651	Appointment of D. Cs. . .	996

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	९९६—९७
पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा शरणार्थियों पर गोली चलाए जाने की कथित घटना—	
श्री हेम बरूआ	९९६
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	९९६—९७
होली का उत्सव न मनाये जाने के बारे में	९९७—९८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	९९८
सदस्य द्वारा वक्तव्य	९९८—९९
विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में	९९९—१०००
सभा के कार्य के बारे में	१०००
रेलवे आय व्ययक १९६४–६५ सामान्य चर्चा	१०००—१००५
श्री दासप्पा	१०००—०५
अनुदानों की मांगें (रेलवे)	१००६—२१
डा० रानेन सेन	१००८
श्री श० ना० चतुर्वेदी	१००८—००९
श्री बड़े	१००९—१०
श्री पें० वेंकटा सुब्बया	१०१०—११
श्री अलवारेस	१०११—१२
श्री बसुमतारी	१०१२
श्री अचल सिंह	१०१२—१३
श्री कृष्णपाल सिंह	१०१३
श्री तुलशीदास याधव	१०१३
श्री काशी राम गुप्त	१०१३—१४
श्री वीरप्पा	१०१४—१५
श्री पु० र० पटेल	१०१५
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१०१५—१६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१०१६—१८
श्री व० बा० गांधी	१०१८
श्री प्रताप सिंह	१०१८
श्री नरसिम्हा रेड्डी	१०१९
श्री सुब्बारामन	१०१९—२०
श्री श्रीनारायण दास	१०२०—२१
श्री किशन पटनायक	१०२१
कार्य-मंत्रणा समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदद	१०२१

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)—*contd.*

Subject	PAGE
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported firing by Pakistani armed forces on refugees.	996—97
Re : non-celebration of Holi .	997—98
Committee on Private Members' Bills and Resolutions Thirty-Fourth Report	998
Statement by Member	998—99
Re : alleged breach of privilege	999—1000
Re : Business of the House .	1000
Railway Budget—General Discussion . .	1000—05
Shri Dasappa	1000—05
Demands for Grants (Railways) .	1006—21
Dr. Ranen Sen . . .	1008
Shri S. N. Chaturvedi . .	1008—09
Shri Bade	1009—10
Shri P. Venkatasubbaiah . . .	1010—11
Shri Alvares . . .	1011—12
Shri Basumatari . .	1312
Shri Achal Singh	1012—13
Shri Krishnapal Singh	1013
Shri Tulshidas Jadhav	1013
Shri Kashi Ram Gupta	1013—14
Shri Veerappa	1014—15
Shri P. R. Patel	1015
Dr. L. M. Singhvi	1015—16
Shrimati Renu Chakravartty	1016—18
Shri V. B. Gandhi	1018
Shri Pratap Singh	1018
Shri Narasimha Reddy	1019
Shri Subbaraman	1019—20
Shri Shree Narayan Das	1020—21
Shri Kishen Pattnayak	1021
Business Advisory Committee	
Twenty-fourth Report.	1021

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, २६ फरवरी, १९६४ / ७ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Wednesday, February 26, 1964 / Phalguna 7, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दास जांच आयोग

\+

*३०४. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कजरोलकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास जांच आयोग ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख) जी नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : आचरण के सिद्धान्तों और विधि व्यवस्था का उन्नयन करने और उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से जो कि किसी लोकतन्त्र के लिये बहुत ही आवश्यक है, क्या

सरकार इतने विलम्ब से भी पंजाब के मुख्य मंत्री से यह कहेगी कि वह हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति प्रदर्शित किये गये सम्मान के उदाहरण को लेकर उसका अनुसरण करें ? यदि नहीं, तो अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों और साक्ष्यों में सम्भावित गड़-बड़ी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : और कोई प्रश्न । यह सुसंगत नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं ।

क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि ईस समय जो जांच आयोग जांच कर रहा है इसके निष्कर्षों, उपपत्तियों तथा सिफारिशों को सरकार पूर्णरूपण मान लेगी और जब प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तो उसकी किसी बात को छोड़े बिना ही सभी को लागू कर देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह परिकल्पित है ।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, नहीं । आयोग जिन किन्हीं भी निष्कर्षों पर पहुंचे उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक निष्कर्ष सरकार के सामने न आ जायें और वह उनकी जांच न कर ले तथा यह न देख ले कि वे उन्हें क्रियान्वित कर सकते हैं अथवा नहीं, तब तक आश्वासन कैसे दिया जा सकता है ?

यदि वह चाहें तो दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आयोग किन्हीं निष्कर्षों पर तो पहुंचेगा । क्या वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : तर्क करने की कोई बात नहीं है । यदि वह कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं कोई और प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

Shri Bade : Have Government issued any such orders to the States that the States must honour the judgement given by the Supreme Court ?

Mr. Speaker : It will be done.

Shri Prakash Vir Shastri : The inquiry being conducted by Das Commission regarding the Chief Minisiter of Punjab...

Mr. Speaker : This Das Commission is a different one. It is not regarding the Chief Minister of Punjab.

श्री हरि विष्णु कामत : यह पंजाब के बारे में है । इसीलिये मैंने ये प्रश्न पूछे थे ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have the Ministry of Home Affairs received some letters or memoranda from certain high Government officials or individuals of Punjab to the effect that obstacles are being put in regard to their affidavits being filed and if so, the action taken by the Ministry thereon ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी, नहीं । मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the Chief Minister of Punjab is exercising the influence of his office over people so that they do not give evidence against him? If so, would it not be proper that he is removed from the office while Das Commission is considering the matter?

Shri Hari Vishnu Kamath : My question too was the same.

Mr. Speaker : Only this part of the question be replied as to whehter any such report has been received that the Chief Minister is interfering so that people do not give evidence.

श्री नन्दा : गृह-कार्य मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री वारियर : क्या दास आयोग को जांच के लिये सब आवश्यक कागजात मिल गये हैं अथवा उनके मिलने में कोई बाधा पैदा की गई है ?

श्री नन्दा : कोई भी व्यक्ति कोई बाधा नहीं डालेगा ।

श्री कपूर सिंह : इस आयोग को अपने निश्चयों पर पहुंचने के लिये क्या कोई समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है ? क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि निष्पक्ष तथा उचित रूप से इस जांच को पूर्ण करने के लिये न्यायाधीश श्री दास को समुचित तथा पर्याप्त समय दिया जायेगा ?

श्री हजरनवीस : समय १ अप्रैल १९६४ तक बढ़ा दिया गया है । हम सभी जानते हैं कि न्यायाधीश श्री दास एक बहुत ही परिपक्व और ईमानदार न्यायाधीश हैं और अपने निश्चयों पर पहुंचने के लिये उन्हें जितना समय और जो भी सुविधायें आवश्यक होंगी वह अवश्य हो दी जायेंगी।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव केवल इस कारण लाया गया है कि उन्होंने दास आयोग के सामने एक हलफनामा दायर किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि जो ईमानदार लोग इस मामले में अपने हलफनामे या गवाही देना चाहते हैं उन्हें तंग न किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह विषय-मंगत नहीं है ।

श्री बड़े : इसकी अनुमति क्यों नही दो जा सकती ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि किस रूप में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विशेषत: वह मुख्य प्रश्न से संगत होना चाहिये।

श्री त्यागी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों से सम्बन्धित मामलों के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने उस दिन एक वक्तव्य दिया था—ऐसे मामलों को हल करने के लिये उन्होंने एक निश्चित नीति निर्धारित कर दी है—मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में भी वह लागू होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में देखा जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या गृह-कार्य मंत्री को ऐसी सूचना मिली है कि न्यायालय में हलफनामे दायर करने के लिये बहुत से किराये के टट्टू, जिरह के बाद वहां से रफूचक्कर हो गये ?

श्री नन्दा : जी, नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि यह जांच आयोग नियुक्त होने के बाद भी प्रधान मंत्री ने पंजाब के मुख्य मंत्री के आचरण की प्रशंसा में कुछ बात कही हैं और यदि हां, तो क्या ऐसा सन्देह करने के कारण हैं कि उन बातों से इस जांच पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ सकता है ?

श्री त्यागी : वह उनकी व्यक्तिगत राय थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बातें उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप मे कहीं थीं।

श्री नन्दा : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री हरिश्चन्द्र माथुर, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी—अनुपस्थित।

अगला प्रश्न। श्री श्री नारायण दास।

माननीय मंत्रियों को अगले प्रश्न के लिये अपने उत्तर तैयार रखने चाहिये।

आर्थिक सेवा पूल

+

*३०६. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक आर्थिक सेवा 'पूल' बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो योजाना बनाई गई है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राच्य विद्याविशारदों की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

+

*३०७. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स्वैल :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राच्यविद्याविशारदों की २६वीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के स्मरणोत्सव में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(ग) 'कांग्रेस' में अन्य किन किन देशों ने भाग लिया था और किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) से (ग) भारत के निमंत्रण पर, प्राच्य विद्याविशारदों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का २६वां अधिवेशन ४ जनवरी से १० जनवरी १९६४ तक नई दिल्ली में हुआ था। ४९ देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन को ट्न वर्गों मे बांट दिया गया था और इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान, भाषाशास्त्र, पुरातत्वविज्ञान, नृतत्वशास्त्र, धर्म कला और सामाजिक विज्ञान आदि विषयो पर चर्चा हुई। सम्मेलन के अवसर पर निकाले गये प्रकाशनों का एक सैट संसद पुस्तकालय में भेज दिया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या उपरोक्त विषयों मे भारत के इतिहास से सम्बन्धित किसी विशेष विषय पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी ?

श्री हुमायून कबिर : एक वर्ग भारत विद्या का था जिसे पांच उप-वर्गों में बांट दिया गया था और इस अधिवेशन में किसी न किसी रूप में भारत की संस्कृति और इतिहास के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया था।

Shri Sidheshwar Prasad : Will the papers on Indology read in the Congress be published by the Govt. of India in form of a book and if so when and in what form?

श्री हुमायून कबिर : अधिवेशन की कार्यवाहियों की अब जांच की जा रही है। अभी तक बहुत से कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। जब कागजात प्राप्त हो जायेंगे और उनका सम्पादन हो जायेगा तो प्रकाशनों की एक श्रंखला के रूप में उन्हें प्रकाशित किया जायेगा।

श्री स्वेल : प्राच्यविद्याविशारदों की यह कांग्रेस लगभग १०० वर्ष पहले १८७३ में स्थापित की गई थी। इस कांग्रेस का अधिवेशन यहां पर करवाने में भारत को लगभग १०० वर्ष का समय क्यों लगा है ? क्या इसका यह अर्थ है कि इस देश की इन अध्ययनों को करने में रुचि नहीं है ?

श्री हुमायून कबिर : बहुत वर्षों से भारत इस कांग्रेस मे भाग लेता रहा है। पहली ही बार इसे भारत में आमंत्रित किया गया था।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस आशय की एक आलोचना की ओर दिलाया गया है कि बहुत सारे अच्छे, बुरे, उदासीन प्रतिनिधियों को इस कांग्रेस में आमंत्रित करके अथवा इसमें बहुत सी भीड़-भाड़ इकट्ठी करके यह केवल एक जशन मात्र ही रहने दिया गया था . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हेम बरुआ : इस प्रकार की एक आलोचना थी।

श्री हरि विष्णु कामत : वह समाचारपत्रों में प्रकशित आलोचना का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं इस प्रश्न को दूसरे रूप में रखता हूं। क्या सरकार का ध्यान इस आशय की एक आलोचना की ओर दिलाया गया था कि इस कांग्रेस में प्रतिनिधियों की बहुत सी भीड़-भाड़ इकट्ठी करके गम्भीर विद्वतापूर्ण चर्चा को रोक दिया गया था और यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा है ।

श्री हुमायून् कबिर : सम्मेलन १४ विभागों में बांट दिया गया था और सभी गम्भीर विद्वानों ने गंभीर चर्चाओं में भाग लिया था परन्तु यदि किसी को बोलने नहीं दिया गया और सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया गया तो मुझे विश्वास है आपत्ति उठाने वाले पहले व्यक्ति माननीय सदस्य ही होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न भिन्न था : बहुत से प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किये जाने के कारण चर्चा उचित रूप से नहीं हुई थी और लोगों को उसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिला था।

श्री हुमायून् कबिर : मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि सभी धीर विद्वानों ने गम्भीर चर्चाओं में भाग लिया था। यह तो ठीक है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि इतने विद्वान नहीं होते जितना कि वे बनते हैं— (**अन्तर्बाधा**) ।

Shri Sheo Narain : How many persons went to participate is this Conference and what is the amount of expenditure incurred on it?

Shri Hamayun Kabir : The question of anyone going outside the country does not arise as this Conference was held in Delhi. There were more than 1,200 delegates and observers out of which 600 were from abroad and as such India's money was spent here itself.

श्री बड़े : इस सम्मेलन के सम्बन्ध में सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय किया है और उस व्यय के अनुरूप क्या परिणाम निकला है ?

श्री हुमायून कबिर : कुल व्यय के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि लेखे अभी तैयार किये जा रहे हैं, इसमें और एक-दो महीने अथवा इसके लगभग समय लगेगा। परन्तु सरकार ने लगभग ६ लाख रुपये का अनुदान दिया था। यूनेस्को ने १०,००० डालर का अनुदान दिया था तथा सी० आई० पी० एस० एच० ने ४,००० डालर का, जो कि मानव सम्बन्धी अध्ययनों को करने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है ।

श्री कपूर सिंह : इस सम्मेलन के गहन विचार-विमर्श की दृष्टि में क्या सरकार सदन को अब यह बताने की स्थिति में है कि क्या कुतब मीनार कुतब उद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी अथवा यह हिन्दू राजाओं द्वारा बनवाई हुई है ?

श्री हुमायून् कबिर : बहुमत यह था कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव किसी धीर-गम्भीर विद्वान् को मान्य नहीं है ।

श्री ; न्रजीत गुप्त : श्रीमन्, क्या प्राच्यविद्या विशारदों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वषय को पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को सौंपने की बात उचित है ? क्या विदेशों में इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

य : हम इस विषय पर फिर कभी चर्चा कर सकते हैं (**अन्तर्बाधा**)

श्री हेम ब आ : माननीय मंत्री के इस उत्तर में व्यंग्य था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नाम मात्र के विद्वान् होते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने ऐसे कुछ विद्वानों को क्यों आमंत्रित किया था ?

अध्यक्ष महोदय : उनके सम्पर्क में आने के पश्चात् कभी कभी हमारा भ्रम निवारण हो जाता है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : उन प्राच्यविद्याविशारदों के अतिरिक्त जिन्होंने कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, क्या विश्वविद्यालयों के मेधावी विद्वानों को भी इस सम्मेलन में भाग लेने का अवसर दिया गया था ? क्या सरकार ने इस प्रकार से उनकी सहायता की है ?

श्री हुमायुन् कबिर : सम्मेलन में इन लोगों को बुलाया गया था। इसमें प्रतिनिधि थे, फिर एसोशियेट सदस्य थे जो कि पंजीकृत पी० एच० डी० विद्यार्थी हैं। इसके बाद प्रेक्षक थे जो कि इन विषयों में रुचि लेते हैं। यह कांग्रेस लगभग १०० वर्ष से बनी हुई है और सदस्यता की शर्तें तथा अर्हतायें कांग्रेस के विधान में ही दी हुई हैं। हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस किसी विद्वान की इसमें अभिरुचि हो और जो सदस्यता शुल्क दे दे वही इसका सदस्य हो सकता है और यदि हमने इसके लिये किसी व्यक्ति को रोका होता तो सारे संसार ने ही इसका विरोध किया होता।

समवर्ती विषय के रूप में शिक्षा

\+

*३०८. श्री महेश्वर नायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री सेझियान :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने के सम्बन्ध में सरकार राज्य सरकारों की राय इस बीच पता लगा सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की जांच करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा श्री पी० एन० सप्रू की अध्यक्षता में नियुक्त की गई संसद् सदस्यों की समिति ने, अन्य लोगों के साथ साथ, राज्य सरकारों को एक प्रश्नावली भेजी है। कुछ उत्तर प्राप्त हो गये हैं और समिति उनकी जांच कर रही है।

श्री महेश्वर नायक : यदि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची के अधीन ले लिया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नतिशीलता अथवा अधिक क्षमता किस प्रकार से लाये जाने की सम्भावना है ?

श्री मु० क० चागला : हमारा उद्देश्य समन्वय करने और एकरूपता लाने का है और श्री सप्रू की समिति इस बात पर विचार कर रही है कि क्या संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ६६ के अधीन, जो संविधान में पहले ही से दी हुई है, इस उद्देश्य को शिक्षा को समवर्ती सूची के अधीन लाये बिना ही प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री महेश्वर नायक : शिक्षा को समवर्ती सूची के अधीन लाने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी क्या राय प्रकट की है ?

श्री म० क० चागला : मैं ने दो या तीन राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है, कुछ राज्य इसके पक्ष में हैं; कुछ संदेह में पड़े हुए हैं और कुछ इस पर विचार कर रहे हैं । इसलिये, अभी तक किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंचा गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बिलकुल समाप्त की जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अधीन ले लिया जाये ।

श्री म० क० चागला : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता आजकल बिल्कुल समाप्त कर दी गई है । मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में बहुत ही विश्वास करता हूं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह ठीक नहीं है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Have Government taken note of this fact that it was recommended by Radhakrishnan Commission that the higher education must be brought on the Concurrent list and would Government appoint a high-level Commission for considering the changes in the circumstances that have taken place thereafter and will they take an early decision in the matter?

Shri M. C. Chagla : I am aware of the recommendation made by Dr. Radhakrishnan. I also believe that it must be a concurrent subject. But it is a very difficult question and its result cannot be achieved within a short time.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान हाल ही की उस मांग की ओर दिलाया गया है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर उच्चतर शिक्षा के लिये एक अनुदान आयोग नियुक्त किये जाने के लिये की गई थी, जिस से कि उच्चतर शिक्षा के स्वरूप में एक रूपता हो सके और यदि हां, तो इस मांग पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री म० क० चागला : मेरा ध्यान तो अभी इस बात की ओर दिलाया गया है कि एक ऐसी मांग है कि उच्चतर शिक्षा के संबंध में भी एक ऐसा ही अनुदान आयोग होना चाहिये जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है । मेरी अपनी प्रतिक्रिया तो इसके पूर्ण पक्ष में है परन्तु समस्या को धन की तथा अन्य प्रविधिक कठिनाइयों की है ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that Ramaswami Mudaliar Committee has given a report to the effect that no decision in this matter should be taken without consultation with the State Governments ; if so, how much time it will take?

Shri M. C. Chagla : You know it that no change can be brought in the Constitution unless majority of the States accept it.

Shri Yashpal Singh : How much time will it take ?

Shri M. C. Chagla : I hope to get the opinion of all States within 6 to 8 months.

श्रीमती सावित्री निगम : सप्रू समिति के निर्देश-पद क्या हैं, यह समिति कब स्थापित की गई थी, तथा कब यह अपना अन्तिम प्रतिवेदन देगी ?

श्री मु० क० चागला : निर्देश-पद मेरे पास यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लम्बे हैं।

श्री मु० क० चागला: जी, नहीं । निर्देश-पद यह हैं: उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्धों की जांच करना जो कि यह पता लगाने की दृष्टि से की जायेगी कि इस सम्बन्ध में केन्द्र और क्या क्या अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये की जाने वाली उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव देना। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है समिति अभी विचार विमर्श कर रही है। मैं समिति पर यह जोर डालता रहा हूं कि वह यथासम्भव शीघ्र अपना प्रतिवेदन दे दे और मुझे आशा है कि दो या तीन महीनों में ही हमें प्रतिवेदन मिल जायेगा ।

Shri D. N. Tiwary: Is it a fact that the Inter-University Board of Bihar did not recognize certain Universities because of the fact that Universities have got no autonomy there and Government interferes in their administration to a great exent?

श्री मु० क० चागला: श्रीमन्, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Dr. Govind Das: The hon. Minister has just stated that they have asked for the opinion of the States in this regard and have received replies from some of them. Some have expressed their opinion in its favour and others against it. May I know the names of States which are in its favour and of those which are against it?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस प्रश्न की यथाविधि सूचना दी जाये।

विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर

+

*३०९. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री शशि रंजन :

क्या शिक्षा मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर का अध्ययन करने क लिये नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब मिलने की आशा है तथा उनके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन इस समय किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) समिति की चार बठकें अभी तक हुई हैं और उस के सदस्य कुछ विश्व विद्यालयों में विचार विमर्श के लिए गए हैं, समिति ने दो प्रश्नावलिया तैयार की थीं जिन के उत्तर कई विश्वविद्यालयों ने भेज दिए हैं। आशा है कि समिति इस वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट दे देगी।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the hon. Minister of Education proposes to abolish this Committee also as he has done in the case of several other Committees so that Government may take over this work, because this Committee takes two or three years.

Shri M. C. Chagla: This Committee cannot be abolished. It is an essential Committee and it is doing good work and I hope its report would come out during this year.

Shri Yashpal Singh : When this Committee is expected to complete its work. These lotus eaters are sitting and they do not work. When they would complete it ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री कपूर सिंह : क्या विश्व विद्यालय शिक्षा की समस्या के प्रति सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण पुराना है अर्थात् यह प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक का मूलभूत अधिकार है ?

श्री मु० क० चागला : मेरी यह निश्चित राय है कि इस देश के प्रत्येक इच्छुक युवक और युवती को विश्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त होनो चाहिये। वह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है ।

श्री वारियर : क्या इस समिति से कोई अन्तरिम रिपोर्ट मिलने की सरकार को आशा है जिस से संपूर्ण रिपोर्ट निश्चित करने से पहले अन्तरिम अवधि में कुछ कदम उठाये जा सकें ।

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि इस समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियुक्त किया है और न कि मंत्रालय ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Will this Committee consider the high percentage of failures in our examinations and the measures to avoid the wastage resulting therefrom?

श्री मु० क० चागला : आशा है कि वह उस पर विचार करेगी क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । असफलता और बरबादी एक राष्ट्रीय हानि है ।

श्री रंगा : अनेक यूरोपीय देशों में, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में भाषण दिये जाने पर वे समझ लेते हैं लेकिन हमारे देश में ऐसे विश्वविद्यालय और कालेज हैं जहां अंग्रेजी के भाषण को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना पड़ता है ।

श्री मु० क० चागला : मैं इस समस्या से अवगत हूं और वह विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम की समस्या है । हमारे यहां माध्यम अंग्रेजी का है । लेकिन सेकेन्डरी स्कूलों और हाई स्कूलों में अंग्रेजी का स्तर गिरता जा रहा है और इस तरह आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि विद्यार्थी अंग्रेजी में भाषण नहीं समझ सकते। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं और यह एक गंभीर स्थिति है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि कानून के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्तर ऊंचा करने या बनाये रखने के लिए बाध्य है क्या इस बीच आयोग ने इस सम्बन्ध में मंत्रालय को अपने काम के बारे में संतुष्ट कर दिया है ।

श्री मु० क० चागला : मुझे यह कहना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है।

Shri Sarjoo Pandey : I would like to know the total number of Members in this Committee, the number of meetings of the Committee held so far and the total amount spent on T.A. & D.A.

Shri M. C. Chagla: .I can't state the total expenditure. If hon. Member wants a reply to it, he may give a separate notice for it.

Dr. Govind Das : Is this Committee considering over the fact that the deterioration in the standard of University education is due to the medium of instruction being a foreign language and it were to improve the standard it is essential that University education may be imparted through the medium of mother tongue.

Shri M. C. Chagla: It is a very big question. I admit that imparting education in English is difficult. It is easier in mother tongue. But along with this question you must bear in mind that we have to maintain the unity of the country. The Question of unity of India is linked with the question of mother tongue.

Dr. Govind Das : Therefore, education should be imparted in Hindi?

Shri M. C. Chagla. Yes Sir, it should be.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस समिति को तीसरी श्रेणी वाले छात्रों को जो काफी बड़ी संख्या में निरर्थक ही रोजगार ढूंढते रहते हैं, रोजगार दिलाने और उन्हें बसाने का काम सौंपा गया है ।

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझ पाता कि यह प्रश्न इस में से कैसे उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्पन्न नहीं होता । अगला प्रश्न ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने जो बात कही है उससे भाषा के माध्यम और राष्ट्रीय एकता के संबंध में सरकारी नीति पर आक्षेप होता है उस बारे में क्या मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

अखिल भारतीय सेवायें परीक्षा पद्धति

\+

*३१०. { **श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम हरख यादव : }

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भर्ती करने की वर्तमान परीक्षा पद्धति में रूपभेद करने के प्रश्न की जांच करने के लिये इस बीच समिति का गठन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निदश पद क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई समिति नियुक्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद व्यक्तित्व परीक्षा के नम्बर कम कर दिए गए हैं और संघ लोक सेवा आयोग ने प्रमुख विद्वानों के परामर्श से इस परीक्षा के लिखित पर्चों के विषयों और पाठ्यक्रम की समीक्षा प्रारम्भ कर दी है। इस के परिणामस्वरूप जो भी परिवर्तन आवश्यक होंगे कर दिए जायेंगे ।

श्री वारियर : वर्तमान परीक्षा और चुनाव प्रणाली में किस दिशा में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

श्री हजरनवीस : एक परिवर्तन की पहले ही घोषणा की जा चुकी है और वह यह है कि आई० ए० एस० के लिए व्यक्तित्व परीक्षा के लिए नम्बर ४०० से घटाकर ३०० और आई० पी० एस० के लिए ३०० से २०० कर दिये गये हैं। पाठ्यक्रम के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की छानबीन के बाद सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री वारियर : क्या भाषा का प्रश्न भी लिया गया है अर्थात् हिन्दी पर जोर दिया जायगा या अंग्रेजी को वही सुविधा प्राप्त होती रहेगी ?

श्री हजरनवीस : अंग्रेज़ी तो अवश्य जारी रहेगी। हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और निकट भविष्य में उस बारे में निश्चय हो जायगा।

श्री स्वैल : मंत्री ने अभी हाल में बताया कि इन परीक्षाओं में व्यक्तित्व परीक्षा के लिए अंक कम कर दिये गये हैं। तो क्या हम यह समझें प्रशासन की कुशलता के लिए सरकार व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझती ?

श्री हजरनवीस : वह अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित नम्बरों की तुलना में उसका क्या सम्बन्ध हो। इस सदन में कई बार यह कहा गया था कि कुल नम्बरों की तुलना में उसके नम्बर बहुत अधिक हैं।

Shri D. N. Tiwary : Has the attention of the Govt. been drawn to the fact that in accordance with the directive of the Constitution, certain States have started the system of education through the medium of regional language, just as in Bihar and Uttar Pradesh, education is imparted through the medium of mother tongue. Students in these States cannot give answers in English in examinations. Have Government issued any directive so that justice may be done to the Students taking examinations in these States ?

Shri Hajarnavis: As I have already said, it has been agreed that the medium in examinations may be Hindi along with English and a decision would soon be taken in this regard.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : यदि इन अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सरकार हिन्दी माध्यम रखने का विचार करती है तो क्या वह गैर-हिन्दी भाषी लोगों के लिए अनर्हता या रोक नहीं हो जायगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस प्रश्न का अलग से विवेचन किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग इस पर विचार कर रहा है और इसका उत्तर हम बाद में दे सकेंगे।

Shri Gahmari: In Uttar Pradesh and Bihar, the test of English is also taken through Hindi medium but for those students who after passing tenth class appear in the Competitive examinations of Railway Board or Post Office, it is essential to give answers in English. How can they do so ? They always give answers in English. Are Government considering over it ?

Mr. Speaker : It is being considered.

श्री हेम बरुआ: क्या यह सच है कि जो भी व्यक्तित्व परीक्षाएं अंग्रेजी में ली जा रही हैं, उनमें अंग्रेजी उच्चारण और अंग्रेजी पोषाक पर भी ध्यान दिया जाता है। यदि हां, तो यह असंगति दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री नन्दा : जो कार्य किये जाने हैं उनके सम्बन्ध में व्यक्तित्व परीक्षा का अपना महत्व है। इसलिए कुल नम्बरों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व परीक्षा के बारे में कुछ परिवर्तन किया गया है। निश्चय ही व्यक्तित्व परीक्षा ऐसे ढंग से ली जायेगी जिससे उम्मीदवारों की ठीक-ठीक योग्यता और रुचि का पता लग सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या अंग्रेजी पोषाक और उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है।

श्री हजरनवीस : मैंने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से बातचीत की थी और उसने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक-ठीक उच्चारण के लिए कोई अलग नम्बर नहीं दिये जाते। उम्मीदवार को अच्छे नम्बर मिल सकते हैं बशर्ते कि वह अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता हो।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री से हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि स्थानीय भाषा पर अत्यधिक बल देने से इस अखिल भारतीय सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप नष्ट नहीं होगा ?

श्री नन्दा : जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रंगा : यह माननीय राज्य मंत्री के उस उत्तर से उत्पन्न होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थानीय भाषा को भी अखिल भारतीय सेवा के लिए एक योग्यता के तौर पर रखने के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री नन्दा : मैंने बताया है कि इस प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

Shri Sheo Narain : May I know whether Government are considering over putting a ban on foreign dress as Coat, Necktie etc. for a personality test and an order is being issued by Govt. that candidates must appear only in national dress?

Mr. Speaker : Hon. Member wants that if a candidate appears in any dress other than national dress, he should be debarred from personality test.

Shri Tulshidas Jadhav : Has the percentage fixed for Scheduled Caste and Backward Classes in all India services has been filled up and if not, the steps being taken by Government to fill it?

Shri Hajarnavis : I think their percentage has gone up this year as well as last year. It is only with a view to increase their percentage that Government have started a training School at Allahabad for imparting training to them and

a similar school has also been opened at Bangalore. Those candidates of Scheduled castes and Scheduled tribes who receive training there, pass the examination when they appear in it.

रूस के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

\+

*३११. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने जिसमें लेखक तथा इतिहासकार थे हाल में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत के लिये उनकी यात्रा किस रूप में लाभदायक सिद्ध हुई ;

(ग) उन्होंने भारत के कितने स्थानों की यात्रा की ; और

(घ) क्या इसी प्रकार का कोई शिष्टमंडल भारत से रूस को जाने वाला है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) भारत-रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल एक रूसी इतिहासकार दिसम्बर १९६३ में भारत आया था।

(ख) भारत-रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना और सुदढ़ करना है। ऐसी प्रत्येक यात्रा से इस उद्देश्य की पूर्ति होने की आशा रखी जाती है।

(ग) आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई और पूना जाने के इलावा वह २६वीं अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यवेता कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, वह मथुरा और आगरा भी गए थे।

(घ) भारतीय लेखकों का एक तीन-सदस्यीय शिष्टमंडल अक्तूबर-नवम्बर, १९६३ में रूस गया था।

Shri B. P. Yadava : The hon. Minister has said that such delegations have done something good. I would like to know whether it is proposed to call similar delegations from other countries and if so, from which countries?

Shri M. C. Chagla : We have such cultural and Scientific agreements with several countries. Scholars and professors from those countries would come have and our counterparts would go to those countries.

Shri Tulshidas Jadhav : Will the delegations coming here from abroad submit any report after their return to their countries and if so, will we get those reports here?

Shri M. C. Chagla : It may be that they submit such reports to their own Governments, to there own society and organisation.

Mr. Speaker : Do our scholars, writers and historians going to other countries submit any report after their return ?

Shri M. C. Chagla : I am new to this Department and I don't know whether they submit any report or not.

Shri Yashpal Singh : Had they come here with any academic or political purpose ?

Shri M. C. Chagla: There is no political purpose in a cultural agreement. There is no purpose other than the Scientific or cultural one.

Shri R. S. Pandey : Is there any plan to include M.P.s in the exchange of cultural delegations ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, यदि उनमें योग्यता हो तो उन्हें शामिल किया जायेगा ।

दिल्ली में यातायात गतिरोध सम्बन्धी समिति

***३१२. श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यातायात गतिरोध को दूर करने के लिये सुझाव देने के हेतु उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) कौनसी सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा कौनसी तीसरी योजना अवधि में क्रियान्वित की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) मुख्य सिफारिशें परशिष्ट १ में दी गयी हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-२३६७/६४]**

(ख) संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री शिवचरण गुप्त : पिछले चार पांच महीनों में सितम्बर से जनवरी या फरवरी तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध काफी अभियोग लगाये गये हैं । उन अभियोगों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने अभियोग ट्रकों और बसों के संबंध में हैं ?

श्री हजरनवीस : अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है । यदि वह मुझे लिखें तो मैं वह जानकारी दूंगा ।

श्री शिवचरण गुप्त : बहत् आयोजना (मास्टर प्लान) में बेला रोड, आजादपुर और रोहतक रोड का विकास करने, गाड़ियां खड़ी करने की जगह बनाने और शहर, सब्जी मंडी और करोल बाग क्षेत्रों से भीड़ हटाने के लिए व्यवस्था की गयी है । चूंकि

सिफारिशों से यह स्पष्ट नहीं है कि इन स्थानों का विकास करने के लिए कोई योजना है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी ब्यौरे की बात है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : पिछले साल एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि शहर में भीड़ कम करने के लिए एक रिंग रेलवे बनायी जायेगी । क्या वह परियोजना अब भी जारी है और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री हजरनवीस : जी हां, रेलवे मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट में बहुत अच्छा अनुसन्धान कार्य किया गया है । क्या उसकी सिफारिशों और निष्कर्षों को अभी तक कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं ?

श्री हजरनवीस : जब समिति इस विषय पर विचार कर रही थी तब उसके पास वह जानकारी शायद उपलब्ध थी । जहां तक मुझे याद है, वह समिति के पास उपलब्ध थी । यदि हमने उससे लाभ नहीं उठाया है तो हम अवश्य ही उससे लाभ उठायेंगे ।

Three-Year Degree Course in States

+

*313. **Shri Sidheshwar Prasad** :
Shri Maheswar Naik :
Shri P. R. Chakraverti :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1091 on the 4th December, 1963 and state ;

(a) steps since taken to raise the standard of three-year degree course and the States in which such steps have been taken; and

(b) the progress made in this direction in the States in which the course could not be introduced?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a)None Sir. Because the proceedings of the meeting of Inter-University Board of India held at Varanasi on December 29—31, 1963 have not been received yet. Meanwhile the University Grants Commission continues to raise the standard of the three-year degree course (i) by providing assistance to improve the teacher pupil ratio, to strengthen laboratories, to replenish libraries, (ii) by organising seminars and summer institutes, (iii) by improving salary scales of college teachers, and (iv) getting the syllabuses reviewed by expert committees.

(b) The U. P. University Education Committee appointed by the Government of U.P., the only State Government which has not introduced the three-year degree course, has recommended to the State Government the adoption of the three-year degree course. The matter is under consideration of the State Government. Besides, the Bombay University in Maharashtra State continues to follow the old pattern because it did not agree to introduce the three-year degree course on academic grounds.

Shri Sidheswar Prasad : One of the sug-gestions made by the hon'ble Minister for raising the standard of the three year degree course is that the

salaries of teachers be enhanced. I would like to know what steps Government are taking in this regard?

श्री मु० क० चागला : हमने कई बातें की हैं और मैं सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। पहले तो वित्तीय सहायता है। हम ३६ विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध ७२० कालेजों को निम्नलिखित पदों में से किसी एक या सब पर किये गये खर्च का ५० प्रतिशत दे रहे हैं; अतिरिक्त इमारतें, कक्षाओं के लिए कुर्सी-मेज, प्रयोगशाला की इमारत, प्रयोगशाला के फिटिंग्ज, पुस्तकालय की पुस्तकें और वैज्ञानिक साजसामान। फिर हम पूरे समय के अतिरिक्त अध्यापक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवर्तक अनुदान भी दे रहे हैं। छात्रों की कमी हो जाने पर जब फीस की आमदनी में घाटा होता है तब भी हम मदद देते हैं और अतिरिक्त आकस्मिकताओं के लिए भी हम सहायता दे रहे हैं। समीक्षा समितियां नियुक्त की गयी हैं और कुछ विषयों में नमूने के पाठ्यक्रम बनाये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टैन्डर्ड कमेटी भी नियुक्त की है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

हम गोष्ठियां और ग्रीष्मकालीन स्कूल चलाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के वेतन भी बढ़ा रहे हैं जिसके लिए हम उचित अनुदान भी दे रहे हैं।

Shri Sidheswar Prasad : Has the attention of Government been drawn to the fact that on account of provision of matching grant or 50% rupee grant, several universities are unable to implement this scheme and so the scheme of revision of pay scales of teachers could not be implemented; and if so, the steps being taken by Government to remove this difficulty under these circumstances?

Shri M. C. Chagla : I know this difficulty that when there is a question of matching grant States cannot pay 50 %. We are considering as to what should be done.

श्री त्यागी : केन्द्रीय सरकार शिक्षा को भी अपने हाथ में ले ले।

श्री महेश्वर नायक : क्या कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के कालेजों के प्रिन्सीपलों के एक सम्मेलन में त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम जारी रखने का घोर विरोध किया गया था और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर फिर विचार किया है?

श्री मु० क० चागला : मैं उस सम्मेलन की राय जानता हूं। उसका कुछ विरोध भी हुआ है। शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बहुत शीघ्र होने आ रहा है और हम इस प्रश्न पर फिर विचार करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार की नीति का समर्थन किया है और वह नीति यह है कि त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम जारी रखा जाये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि धन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में यह त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उसकी मदद करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री मु० क० चागला : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी राज्य यह त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम चालू करने के लिए तैयार हो उसे हम क्या मदद दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार उन राज्यों को जो ५० प्रतिशत नहीं दे सकते, कोई विशेष सहायता देने जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : समस्या यह है कि यदि हम एक राज्य को १०० प्रतिशत अनुदान दें तो प्रत्येक राज्य मांगने लगेगा । यह बहुत बड़ी समस्या है ।

श्रीमती सावित्री निगम : उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है....

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इन कालेजों में ट्यूटोरियल और सेमिनार की पद्धति चालू करने का सरकार का विचार है क्योंकि अधिकांश कालेजों में वह पद्धति नहीं है जिसकी वजह से स्तर गिर गया है ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह राय है कि ऊंची शिक्षा के लिए वह पद्धति बहुत उपयोगी है लेकिन यदि किसी कालेज में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो तो ट्यूटोरियल्स या सेमिनार्स का आयोजन करना हमेशा इतना आसान नहीं होगा । फिर भी जो कालेज यह पद्धति अपनाने के लिए तैयार हैं उन्हें हम मदद दे रहे हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्तर के प्रश्न की छानबीन करने के लिए जो समिति नियुक्त की थी क्या वह इस विषय पर भी विचार कर ही है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से स्तर कहां तक ऊंचा हुआ है या गिर गया है ?

श्री मु० क० चागला: मुझे विश्वास है कि उस पर विचार किया जायेगा क्योंकि सवाल यह है कि तीन साल या चार साल का उपाधि पाठ्यक्रम रखा जाये जैसा कि बंबई विश्वविद्यालय में है या उत्तर प्रदेश में प्रचलित है स्तर के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : इस बात को देखते हुए कि लगभग सभी राज्यों ने स्कूल से कालेज तक १५ वर्ष का पाठ्यक्रम मंजूर कर लिया है क्या कुछ राज्य २ वर्ष का विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम अपनाने की बजाय ४ वर्ष वाला पुराना पाठ्यक्रम अपनाना चाहते हैं ?

श्री मु० क० चागला : एक राय यह है कि चौथा वर्ष स्कूल में बिताने की बजाय, यह अधिक अच्छा है कि कालेज में ही चार वर्ष हों जैसा कि अभी भी बम्बई विश्वविद्यालय में है । इस पर विचार करना होगा ।

श्री मानसिंह पु० पटेल : चूंकि कुछ राज्यों ने हायर सेकेण्डरी शिक्षा का ढाचा स्वीकार नहीं किया है, में जानना चाहता हूं कि त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम लागू किय जाने से सेकेन्डरी शिक्षा और कालेज शिक्षा की कुल अवधि ११ वर्ष या १२ वर्ष हो जायेगी ।

श्री मु० क० चागला : अभी फिलहाल ढांचा यह है कि सेकेन्डरी शिक्षा के लिए ११ वर्ष और कालेज के लिए ३ वर्ष और कुल १४ वर्ष । यही सामान्य ढांचा है ।

श्रीमती रेणु राय : चूंकि विशेषज्ञों की यह निश्चित राय है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से आधुनिक शिक्षा पद्धति की आवश्यकता पूरी हो जाती है क्या सरकार ने इस बारे में अंतिम निश्चय नहीं किया है ?

श्री मु० क० चागला : हमने निश्चय कर लिया है ? हमारी राय यह है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो और इसी कारण हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्र परिपक्व हों। इस समय छात्र विश्वविद्यालयों में बहुत कम उमर में जाते हैं। इसीलिए हमने ११ वर्ष का हायर सेकेन्डरी पाठ्यक्रम और ३ वर्ष का विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम रखा है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : कुछ राज्यों ने सेकेन्डरी शिक्षा का दर ढांचा नहीं अपनाया है और सभी राज्यों ने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अनुरूप ढांचा नहीं बनाया है। इसलिए इस गड़बड़ी में अन्तर्विश्वविद्यालयाधीन स्तर किस प्रकार कायम रखे जा सकते हैं। साथ ही में स्तर बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : हम तुरन्त जो कार्रवाई करना चाहते हैं वह यह है कि सेकेन्डरी शिक्षा के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित किया जाये। मेरे विचार से सेकेन्डरी शिक्षा ही सारी समस्या की जड़ है।

Shri Kishan Pattnayak : Which are the States which are unable to implement the Higher Secondary system *i.e.*, 11 year course ?

श्री मु० क० चागला : मुझे नोटिस चाहिये।

Shri Bade : Is it a fact that in a certain State there is 3 year degree Course, in other there is 4 year course and in another there is 11 years course for higher secondary or even less. If so, has the attention of the Government been drawn to the difficulties faced by those Government Servants or M.Ps., who are transferred from one place to another, in obtaining admission to their children, and towards the confusion arising therefrom ?

Shri M. C. Chagla : They are fully aware. That is why I say that there, should be a uniform Secondary education pattern for the whole of India and then all the difficulties would be removed.

Shri Sarjoo Pandey : U. P. Government are not prepared to enforce 3 year degree course. I would like to know what are the difficulties of U.P. Government to this matter and in view of the fact that U.P. is most backward in education, whether Government are prepared to allocate additional grant ?

Mr. Speaker : This question has already been asked.

Shri Sarjoo Pandey : When ?

Mr. Speaker : It has been asked. U.P. says that it has no funds and the Government is not prepared to pay.

Shri Sarjoo Pandey : Why more funds are not being given to U.P. ?

सूर्य की गतिविधि के संबंध में अध्ययन

+

*३१४. { श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंन्तर्राष्ट्रीय शान्त सौर वर्ष में सूर्य के आचरण सम्बन्धी वैज्ञानिक

प्रेक्षणों में भारत का भाग लेने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में आयोजित वैज्ञानिक गतिविधि की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सौर वर्ष के भारतीय कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय हैं :—

(क) मौसम विज्ञान

(ख) भू-चुम्बकत्व

(ग) वायु दीप्ति

(घ) आयन मण्डल

(ङ) सौर सक्रियता

(च) अन्तरिक्ष किरणें

(छ) अन्तरिक्ष अनुसन्धान, और

(ज) वायु शास्त्र

यह कार्यक्रम लगभग पचास अनुसन्धान केन्द्रों में चल रहा है जो सारे देश में फैले हुये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह देखते हुए कि सूर्य विशाल, जलने वाला, लगातार विस्फोट करने वाला तापीय-आण्विक बम है, क्या, 'शांत सूर्य' शब्दावलि गलत अथवा प्रतिकूल अर्थों वाली नहीं है, क्योंकि वास्तव में शांत सूर्य हमारे इस ग्रह, पृथ्वी पर समस्त जीवन को शांत कर देगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह किसी प्रश्न का उत्तर या सूचना चाहते हैं या केवल दार्शनिक चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार ने अभी बताया है कि वे शांत सूर्य वर्ष में भाग लेने जा रहे हैं। क्या 'शांत सूर्य' शब्दावलि गलत राय नहीं है और यदि हां, तो वे इसमें क्यों भाग ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, सूर्य शांत नहीं हो सकता ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसी कारण इससे अलग हो जाएं कि यह नाम उचित नहीं है ?

श्री हरि विष्णु कामत : शांत सूर्य के इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा भाग लेने के क्या कारण हैं, इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है ?

श्री मु० क० चागला : हमने १९५७–५८ में ऐसी ही योजना की थी जब सूर्य बहुत सक्रिय था। उसके मुकाबले में अब सूर्य शांत है और इसी लिए वर्तमान वर्ष को शांत सूर्य वर्ष कहा गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वैज्ञानिक गवेषणा से अभी तक सूर्य की गतिविधि और तथा कथित निष्क्रियता अथवा शांति के संबंध में चक्रदार प्रकृति का पता चला है और यदि हां, तो क्या इससे ऐसे चक्रों का भू-वासी आपत्तियों और भूकम्प, ज्वालामुखी के फूटने और राजनीतिक उथल पुथलों के साथ कोई प्रासंगिक अथवा अन्यथा संबंध स्थापित हुआ है ? (**अन्तर्बाधाएं**) यह विज्ञान का विषय है और मैंने विज्ञान पढ़ा है तथा वैज्ञानिक प्रगतियों को समझता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: क्या सूर्य की गतिविधि अथवा शांति का राजनीतिक उथल पुथल से कोई सम्बंध है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न है कि क्या इस चक्रदार गतिविधि या भू-वासी घटनाओं, और आपदाओं, अर्थात् भूकम्पों, ज्वालामुखी के फटने और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ कोई संबंध है ?

श्री मु० क० चागला : मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं ताकि मा० सदस्यों के मन में कोई भ्रम न रहे। यह अनुसंधान योजना सर्वथा वैज्ञानिक है, हम राजनीतिक उथल पुथल का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने केवल राजनीतिक उथल पुथल के बारे में ही नहीं पूछा। क्या इस चक्रदार प्रकृति का ज्वालामुखी के फूटने और भूकम्पों के साथ कोई सम्बंध है या उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, और क्या राजनीतिक उथल पुथल पर भी प्रभाव पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : जब राजनीति को लाया जाता है तो सब कुछ डूब जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप चाहें तो राजनीति को निकाल दें। क्या चक्रदार प्रकृति का भूमि पर होने वाली घटनाओं अर्थात् भूकम्पों, ज्वालामुखी के फटने आदि के साथ कोई प्रासंगिक अथवा अन्य प्रकार का सम्बंध है ?

श्री मु० क० चागला : प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही हमें इसका पता लगेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : अब तक के अध्ययन में क्या निष्कर्ष निकला है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री राम सहाय पाण्डेय : सूर्य के कार्य कलाप के अन्तर के साथ बम्बई में देवी दयाल सन्ज ने एक बड़ा आविष्कार किया था और उन्होंने ईंधन बचाने तथा भोजन पकाने के लिए एक सोलर कूकर (धूप से चलने वाला चूल्हा) बनाया है, एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया था और मंत्रीमंडल के एक मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। उस चूल्हे की सफलता क्या है और क्या वह लोकप्रिय है ?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न का सोलर कूकर के साथ कोई सम्बंध नहीं है।

भारत को तेल सम्बन्धी रियायत

\+

*३१५. { **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री उमानाथ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री ग्रंजनप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कृ० वं० पंत :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिये तेल सम्बंधी रियायतें प्राप्त करने के लिए ईरान सरकार के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) ग्रभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दोनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार की इसके सम्बंध में बातचीत करने का विचार है ग्रौर यदि हां, तो कब तक बातचीत ग्रारम्भ की जाएगी ?

श्री हुमायून कबिर : बातचीत जारी है ग्रौर ग्रभी पूरी नहीं हुई ।

डा० रानेन सेन : क्या इस समाचार में कुछ सत्य है कि भारत सरकार तेल सम्बंधी रियायतों के लिए ईरान ग्रौर कुवैत की सरकारों के साथ कोई बातचीत करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुमायून कबिर : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जा चुका है । कुवैत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं ।

श्री हेम बरूग्रा : क्या यह सच नहीं है कि इस देश में तेल शोधक कारखाने चलाने वाली विदेशी तेल कम्पनियों को मध्य पूर्व के देशों में विशेषत: रियायती दरों पर कच्चा तेल मिल रहा है ग्रौर यदि हां, तो क्या कारण है कि वही सुविधाएं देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नहीं मिल रहीं ?

श्री हुमायून कबिर : हमने उनके साथ ग्रभी तक कोई करार नहीं किया, ग्रत: हम इस के बारे में उन से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री तुलसी दास जाधव : खपत के लिये भारत की ग्रावश्यकता कितनी है ग्रौर इसमें से कितना ग्रायात किया जाता है तथा कितना भारत में तैयार होता है ?

श्री हुमायून कबिर : पेट्रोल की खपत बड़ी तेजी से बढ़ रही है । तीसरी योजना के ग्रन्त में, लगभग १६०–१७० लाख टन की ग्राशा है । यह गत ७–८ वर्षों से दुगने से ग्रधिक वृद्धि है । इसमें से इस समय ग्रशोधित उत्पादन १० लाख टन से ग्रधिक है ग्रौर तीसरी योजना के ग्रन्त तक हमें ग्राशा है कि यह पचास लाख टन से ग्रधिक हो जाएगा । स्वभावत: दोनों के बीच का ग्रन्तर विदेश से ग्रशोधित तेल मंगवा कर पूरा किया जाएगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरिजनों की आवास समस्या

३०५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों को अपनी आवास समस्या के संबंध में कोई शिकायत है और क्या अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष करने की कोई धमकी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या रुख है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सरकार योजना के पिछड़ी जाति क्षेत्र में आवास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का यथा संभव प्रयत्न कर रही है। लेकिन यह समस्या बहुत बड़ी है और इस क्षेत्र में प्रगति कई बातों पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम के लागू करने के बारे में किसी त्रुटि या शिकायत की ओर सरकार का ध्यान जाता है तो सावधानी से कार्यवाही की जाती है। सरकार को इस संबंध में कुछ पता नहीं कि सारे देश में आन्दोलन का डर है या नहीं, हां, इस संबंध में कभी कभी कुछ समाचार अवश्य छपे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां

*३१६. **श्री नम्बियार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों का खर्च बढ़ जाने के कारण तकनीकी अध्ययन करने वाले योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इन छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को पूरे शुल्क की रियायत देने की मांग अस्वीकार कर दी है ;

(ग) क्या सरकार अधिक मूल्य वाली किताबें इनको मुफ्त देने की व्यवस्था कर रही है ; और

(घ) क्या इन विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी पर्यटनों के लिए खर्चा उसी प्रकार दिया जा रहा है जिस प्रकार छात्रवृत्ति पाने वाले अन्य वर्गों को दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) योजना के अन्तर्गत शिक्षात्मक भ्रमणों का खर्च वहन करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

2397 (Ai) LSD—3.

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

३१७. श्री दे० जी० नायक :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प० कुल्हन :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसुमतारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को असैनिक सेवाओं तथा पदों पर उनके लिये रक्षित पदों के अनुपात में भरती नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कुल रिक्त स्थानों को भरने में सामान्यतः कमी रही है।

(ख) इस कमी का मुख्य कारण यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित सभी स्थानों के लिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते—विशेषतः ऐसे पदों के लिये जिनके लिये तकनीकी या विशेष अर्हता में चाहिये अर्थात् सामान्य शिक्षात्मक अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य अर्हतायें निर्धारित हैं।

शिक्षा मंत्रालय में मितव्ययता

*३१८. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री यवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हेम राज :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दे० जी० नायक :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री सिद्दय्या :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मितव्ययता करने और दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ

उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ; और

(ग) देश में शिक्षा का एक समान ढांचा कायम करने के लिये क्या कार्य करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता करने और कुशलता बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिये जाते हैं :—

(१) तरीकों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, काम का अनुमान निर्धारित करने और कर्मचारियों का उपयोग करने से संबंधित व्यापक अध्ययन विशेष पुर्नगठन एकक के मार्गदर्शन तथा अधीक्षण में पूरा किया गया था। इस के परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों पर होने वाले व्यय में १४.५०/० की बचत हुई है। काम अध्ययन एकक द्वारा सुझाये गये विविध प्रक्रिया को सरल करने के उपायों को कार्यान्वित किया गया है ताकि काम का निपटारा शीघ्र हो सके।

(२) उपकरण स्टोरों प्रकाशनों आदि के क्रय पर व्यय घटा कर न्यूनतम कर दिया गया है।

(३) बहुत सी समितियों को अपना काम समाप्त करने को कहा गया है जिनका कोई उपयोग नहीं था।

(ग) मंत्रालय द्वारा देश भर में शिक्षा के ढांचे में एकरूपता लाने के लिये निम्न कार्रवाई की गई है या करने का विचार है :—

(१) समान पाठ्यक्रम और शिक्षा के समान माध्यम के साथ देश भर में उच्च माध्यमिक परीक्षाएं लेने के लिये एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है।

(२) पाठ्य-क्रम पर पुर्नविचार और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन।

(३) देश में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्य-क्रम जारी करना।

(४) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विविध इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों के पाठ्यक्रमों की योजनाएं बनाई हैं और उन को राज्यों की सरकारो को यथासंभव अपनाने के लिये भेज दिया है।

(५) देश की पांच उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाओं की गधिविधयों का समन्वय एक केन्द्रीय निकाय अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की परिषद् के द्वारा किया गया है।

Teaching of Hindi in Russia

*319. { **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the reports published in News-papers to the effect that the U.S.S.R. Government have taken a decision to make Hindi a compulsory subject of education in Russia;

if so, whether Government have any information as to the manner in which the U. S. S. R. Government will give a practical shape to it and from which date it would take effect;

(*c*) whether the U. S. S. R. Government expect any kind of co-operation from the Government of India; and

(*d*) if so, the extent to which the Indian Government will be able to extend their co-operation in the matter ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (*a*) & (*b*) Government have no official information beyond what has appeared in the press.

(*c*) & (*d*) The questions do not arise.

सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का मामला

***३२०. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ दिसम्बर १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दास आयोग के प्रतिवेदन में सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले के सम्बन्ध में कई केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के कदाचारों की ओर निर्देश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कितने हैं तथा वे किन पदों पर हैं ; और

(ग) क्या उनमें से कोई एक अथवा अधिक सरकारी तौर पर अथवा रिश्ते में अथवा अन्य या भूतपूर्व संघ खान और ईंधन मंत्री, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मंत्री अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्री से सम्बन्धित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३९८/६४ ।]**

विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक

***३२१.** { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री शा० ना० चतुर्वेदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा प्रविधिकों के पंजीयन के लिए प्रबन्ध किये गये हैं जिससे उनको भारत लौटने का प्रोत्साहन मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष अनुभाग विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, प्रौद्योगिकी शास्त्रियों, इंजीनियरों तथा चिकित्सकों के नाम पंजीबद्ध करने के लिये आरम्भ किया गया था। पंजीयन स्वैच्छिक है। पंजीयन के प्रपत्र विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों में प्राप्त हैं। उन लोगों को भी प्रपत्र भेजे जाते हैं जो पहले पंजीबद्ध हैं, ताकि वे उन लोगों को प्रपत्र दें जो पंजीबद्ध नहीं हैं। विदेश स्थित अधिकांश भारतीय मिशन भी अपने बुलेटिनों के द्वारा योजना का प्रचार करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रजनों में परिचालित किये जाते हैं।

(ग) इसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

मद्य निषेध सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार सलाहकार समिति

*३२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री श्रीनारायण दास:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्य निषेध सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति की अन्तिम बैठक किस तिथि को हुई थी तथा अगली बैठक कब होने की आशा है ; और

(ख) दिसम्बर, १९६३ में हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय मद्य निषेध कार्यकर्त्ता सम्मेलन द्वारा पारित किये गये संकल्प पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) मद्य निषेध संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक ४ और ५ सितम्बर, १९६१ को हुई थी। अगली बैठक मद्य निषेध विषयक अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उस की जांच हो चुकने के उपरान्त बुलाई जाएगी ; और

(ख) सरकार ने अखिल भारतीय मद्य निषेध कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों को ध्यान में रख लिया है। इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री की एक अनौपचारिक बैठक में चर्चा हुई थी। यह स्वीकार किया गया कि मद्य निषेध अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक, जिस की शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है, मद्य निषेध के संबंध में यथास्थिति कायम रखी जाए।

मद्य निषेध

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गो० महन्ती :

*३२३. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुग्रा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कजरोलकर :
श्री कोया :
श्री स्वेल :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों का विचार मद्य निषेध को समाप्त करने का है अथवा उन्होंने आंशिक रूप से इसको समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार को मालूम है, केवल महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मद्य निषेध नीति में कुछ रूपभेद की घोषणा की है । किसी अन्य राज्य से मद्य निषेध के समाप्त किये जाने अथवा इसके आंशिक हटाये जाने के बारे में कोई प्रशासकीय सूचना प्राप्त नहीं हुई । तथापि इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के साथ गृह-मंत्री की जो अनौपचारिक बैठक हुई थी, उस में चर्चा की गई थी । यह स्वीकार किया गया कि मद्य निषेध अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक मद्य निषेध के संबंध में यथास्थिति कायम रखी जाए, और प्रतिवेदन के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है ।

हिन्दी और अंग्रेजी के अध्यापन में सुधार

*३२४. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स्वेल :
श्री ह० चं० सोय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् के इस संकल्प की ओर दिलाया गया है

जिसमें कहा गया है कि स्कूलों तथा कालेजों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों का अध्यापन स्तर ऊंचा बनाये रखना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रभावी क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा योजनायें बनाई गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां ।

(ख) हिन्दी तथा अंग्रेजी का अध्ययन राज्य का विषय है । और हिन्दी तथा अंग्रेजी की पढ़ाई संबंधी सुधार विषयक संकल्प की क्रियान्विति मुख्यत: राज्यों का उत्तरदायित्व है । चूंकि इस संकल्प में मुख्य मंत्रियों के (१९६१ में हुए) सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ही पुष्टिकरण किया गया है, आशा की जाती है कि राज्य सरकारें इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए यथासंभव कारंवाई कर रहे हैं ।

तथापि, भारत सरकार ने भी इस क्रियान्विति में राज्यों की सहायता करने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं । त्रिभाषा सूत्र प्राय: सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिसमें माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी की पढ़ाई का उपबंध है । अंग्रेजी की पढ़ाई को उन्नत करने और दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की पढ़ाई संबंधी गवेषणा करने के लिए भारत सरकार ने हैदराबाद में केन्द्रीय अंग्रेजी संस्था स्थापित की है । केन्द्रीय सरकार के सहयोग तथा वित्तीय सहायता के साथ अंग्रेजी की अन्य बहुत सी संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं; उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों ने संस्थाएं स्थापित कर दी हैं तथा आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा मद्रास ने बंगलौर में संयुक्त संस्था बनाई है । संकल्प विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है और उस का अनुसमर्थन उपकुलपतियों में १९६२ में हुए सम्मेलन द्वारा किया गया है ।

दिल्ली में प्लाटों की नीलामी

*३२५. **श्री भी० प्र० यादव:**
श्री धवन:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महेश्वर नायक:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने प्लाटों की नीलामी की गई है ;

(ख) प्लाटों के लिए सबसे ऊंची बोली कितनी थी ;

(ग) क्या प्लाटों की नीलामी की इस नीति के कारण दिल्ली में जमीन के मूल्य कम हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) से (घ). २० अक्तूबर, १९६३ से १६ फरवरी, १९६४ तक ६०३ प्लाट नीलाम किये गये। इन में अधिकतम दाम १००रुपये प्रति वर्ग तथा न्यूनतम दाम ३८ रुपये प्रति वर्ग गज था। इन नीलामियों के फलस्वरूप दिल्ली में भूमि के दाम गिर रहे हैं। तथापि यह लगातार चलने वाला है। दाम और कम होने की आशा है।

दिल्ली में पुलिस थाने में एक व्यक्ति की मृत्यु

*३२६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प० कुन्हन :
श्री तन सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल नगर पुलिस थाना, नई दिल्ली में पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान, एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी नहीं। न्यायिक जांच चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तकनीकी अध्यापक

*३२७. **श्री भागवत झा आजाद:**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार क्षेत्रीय संस्थाओं की तुरन्त स्थापना की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उक्त परिषद् ने तकनीकी संस्थाओं के लिए अध्यापकों का केन्द्रीय "पूल" बनाने का भी सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां' तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख), जी हां।

(ग) विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही हैं।

Use of Hindi

*328. Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri M. L. Dwivedi:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 374 on the 4th December, 1963 and state the up-to date progress made by the Committee appointed in regard to the use of Hindi in official work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs

Shri Hajarnavis: The first meeting of this Committee will be held on 12th March, 1964 in New Delhi.

मैसूर के अपंग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां

५६६. श्री सिद्दय्या: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६३–६४ में केन्द्रीय सरकार को छात्रवृत्तियों के लिए मैसूर राज्य के अपंग व्यक्तियों की कितनी अर्जियां आई; और

(ख) उन में से कितने लोगों को अभी तक छात्रवृत्तियां दी गई हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) १११। इनमें से मैसूर सरकार ने ३७ की सिफारिशें की और ७४ को रद्द कर दिया।

(ख) ३२।

मैसूर का शिक्षात्मक विकास

५६७. श्री सिद्दय्या: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में अब तक मैसूर राज्य को शिक्षात्मक विकास के लिए दिये गये धन का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां तो क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता विकास के विशिष्ट शीर्षक पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर दी जाती है। अतः शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता का उपयोग न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसूर में युवक होस्टल

५६८. श्री सिद्दय्या: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६३–६४ में युवक होस्टलों के निर्माण के लिए मैसूर राज्य को कितना धन दिया गया;

(ख) क्या धन का पूर्ण उपयोग हो चुका है; और

(ग) वर्ष में किन स्थानों पर युवक होस्टल बनाये गये हैं या बनाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) कोई धन नहीं दिया गया।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर उच्च-न्यायालय में लेख याचिकाएं

५९९. **श्री सिद्दय्या:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ लेख याचिकाएं एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उन के शीघ्र निबटारे के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

६००. **श्री चुनीलाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से आज तक वर्ष वार, दिल्ली में समाज विरोधी लोगों द्वारा कितने बच्चों का अपहरण किया गया और कितने बच्चे लौटा लिए गये तथा इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस):

वर्ष	अपहृत दबच्चों की संख्या	लौटा लिये गये बच्चों की संख्या	गिरफ्तार लोगों की संख्या
१९६० . . .	५१	४७	६८
१९६१ . . .	५९	५५	७८
१९६२ . .	५८	५५	५२
१९६३ . . .	६५	५९	७९
१९६४ . . . (१५-२-६४ तक)	१२	६	१

छुट्टियों का निर्धारण

६०१. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या गृह-कार्य मंत्री २० नवम्बर १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टियों की तिथियों का फैसला त्योहारों की तिथि से पहले हो जाता है ।

(ख) इस बात का कैसे फैसला किया जाता है कि उपरोक्त उत्तर में उल्लिखित मामलों में लोग राष्ट्रीय पंचांग को मानेंगे ; और

(ग) 'लोगों द्वारा वास्तव में जिन तिथियों को त्योहार मनाये जाते हैं, उन तिथियों का पहले से निर्धारण करने के लिये सरकार क्या आकार अपनाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विविध त्योहारों के लिये छुट्टियों की तिथियां उन त्योहारों के वास्तविक अपनाये जाने के संबंध में स्थानीय प्रथा को मालूम करने के पश्चात् निर्धारित की जाती हैं ।

आनुष्ठानिक कार्यों के लिये संस्कृत का प्रयोग

६०२. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
डा० मा० श्री अणे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संविधान के अधीन सरकार आनुष्ठानिक कार्यों के लिये संस्कृत का प्रयोग कर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के सामने संस्कृत को ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). संविधान में संस्कृत का सरकारी कार्यों के लिये प्रयोग करने की कोई व्यवस्था नहीं है । संस्कृत का प्रयोग संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शपथ ग्रहण के लिए किया जाता है । भारत या राष्ट्र वाक्य तथा सरकारी संस्थाओं के वाक्य संस्कृत में हैं । संस्कृत का आनुष्ठानिक कार्यों के रूप में प्रयोग करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्र में केरल राज्य के अधिकारी

श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य सरकार के कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इस समय काम कर रहे हैं ; और

(ख) इनमें से कितने भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण भारत में सोडा एश बनाने का संयंत्र

६०४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में सोडा एश संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम

रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सोडा एश संयंत्र के सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मद्रास में सोडा ऐश बनाने के नये उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम १९५१ के अधीन लाइसेंस देने के लिये तीन व्यक्तियों ने आवेदनपत्र दिए हैं। एक व्यक्ति को "लैटर आफ इंटेंट" दिया गया है । अन्य दोनों आवेदकों के बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

'उड़ीसी' नृत्य

६०५. **श्री महेश्वर नायक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को जानकारी है कि उड़ीसा के एक शास्त्रीय नृत्य 'ओदीसी" का विकास नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इस नृत्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इसके पूर्ण उत्थान के लिए प्रभावोत्पादक कार्य करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) यह कहना कि "उड़ीसी" नृत्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक नहीं है । संगीत नाटक एकादमी 'उड़ीसी' नृत्य के विकास के लिये काम कर रही है । अकादमी पुरस्कारों के लिये 'उड़ीसी' को भारतीय नृत्य मान लिया गया है । 'उड़ीसी' नृत्यकारों को राजधानी में प्रदर्शन के लिये आमंत्रित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों की तालिका में कई प्रसिद्ध 'उड़ीसी' नृत्यकारों को शामिल कर लिया गया है । 'उड़ीसी नृत्य' को उन्नति तथा विकास में लगी हुई संस्थाओं को अकादमी वित्तीय सहायता लेने की अर्हता है ।

(ख) अकादमी 'उड़ीसी' सहित सभी प्रकार के नृत्यों की उन्नति तथा विकास के लिये कार्य-वाही करती रहेगी ।

ऊपरी आसाम क्षेत्र में तेल की खोज

६०६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊपरी आसाम क्षेत्र में तेल की खोज में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर) : पूछी गई जानकारी भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, २०-१-६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३५ के रूप भेद के द्वारा, के अधीन "नियंत्रित जानकारी" की श्रेणी में आती है ।

दिल्ली में मकानों की बिक्री तथा निर्माण

६०७. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के संबंधी में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि के अर्जन, विकास तथा बिक्री और मकानों के निर्माण तथा बिक्री के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): मामला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्तियां

६०८. { **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंत्रालय द्वारा बनाई गई नेशनल प्रोफेसरशिप की अनुपूरक राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ति लागू करने की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना के आरम्भिक काल में कितनी अधिछात्रवृत्तियां बनाई गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ति लागू करने के लिये स्थापित समिति की सिफारिशों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

(ख) और (ग). योजना के व्योरों पर आयोग विचार कर रहा है ।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का निलम्बन

६०९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री आर० पी० कपूर को निलम्बन अवधि के लिये कितना धन दे दिया गया तथा कितना देना बाकी है ;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध निलम्बन आदेश जारी किये थे तथा यदि हां, तो किस तिथि से ;

(ग) अखिल भारतीय सेवा के कौन कौन अधिकारी छः महीने तथा उससे अधिक की अवधि से निलम्बित हैं ; और

(घ) निलम्बन के कारण हुये व्यय को कम करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख). सबसे पहले श्री कपूर को १८ जुलाई, १९५८ को निलम्बित किया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध एक फौजदारी का मुक़दमा चल रहा था। ४ अप्रैल, १९६३ को उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही समाप्त हो जाने पर

निलम्बन के आदेश भी समाप्त हो गये थे। राज्य सरकार ने ५ अप्रैल, १९६३ को निलम्बन के दूसरे आदेश जारी कर दिये। १९ नवम्बर, १९६३ को उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिये जाने के बाद कि भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट की सेवा के अफसरों को केन्द्रीय सरकार निलम्बित कर सकती है यह दूसरा आदेश बेकार हो गया। इस प्रकार जब कि श्री कपूर १८ जुलाई, १९५९ से किसी भी पद पर काम नहीं कर रहे हैं परन्तु वह १७ फरवरी १९६४ तक पूरा वेतन पाने के अधिकारी हैं क्योंकि इस तिथि को सरकार ने उनके निलम्बन के आदेश जारी कर दिय थे। १८ फरवरी से नियमों के अधीन उनको भत्ता मिल रहा है। श्री कपूर को दी गयी तथा दी जाने वाली रकम के बारे में राज्य सरकार से पूछा जा रहा है।

(ग) पांच राज्य सरकरों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने जानकारी दे दी है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२३९९/६४।**]

(घ) सावधानी से विचार करने के बाद अफसर के निलम्बन के आदेश दिये जाते हैं तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितना शीघ्र संभव हो उतने शीघ्र प्रक्रिया तथा सांविधानिक आवश्यकतानुसार जांच पूरी हो जाये।

चोरबाजारी करने पर गिरफ्तारियां

६१०. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अत्यावश्यक वस्तुओं में चोरबाजारी करने पर वर्ष १९६३ में भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): ३५२६ व्यक्ति

केरल समुद्री तट पर तेल का सर्वेक्षण

६११. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समुद्री तट पर तेल के सर्वेक्षण में कोई प्रगति की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून किबर): (क) और (ख). अभी जांच पड़ताल जारी है परन्तु अभी तक तेल के संग्रह के बारे में कोई रेखांकन नहीं किया गया है।

मिट्टी का तेल

६१२. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मिट्टी के तेल की कमी दूर करने के लिये भारतीय पेट्रोलियम

संस्था अनुसंधान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि क्या देश में फालतू वस्तु नेफ्थैलीन से मिट्टी का तेल बनाने के लिये कोई लाभप्रद अनुसंधान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख) जी, हां। 'नेफ्थैलीन' नही बल्कि 'नेफ्था' से बीच के दर्जे का मिट्टी का तेल निकालने के लिये अनुसंधान किया गया है।

(ग) इस समय और ब्योरा देना संभव नहीं है क्योंकि प्रयोगशाला में अभी कार्य चल रहा है।

घटिया किस्म का मिट्टी का तेल

६१३. **श्री भी० प्र० यादव :**
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संस्थान द्वारा नहरकटिया (आसाम) में उत्पादित घटिया किस्म के मिट्टी के तेल को घरेलू प्रयोग के योग्य बनाने के बारे में कोई प्रगति हुयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) और (ख) घटिया मिट्टी के तेल की किस्म सुधारने के लिये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में कार्य चल रहा है और अब तक प्राप्त परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

अपराध रोकने सम्बन्धी अनुसंधान

६१४. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध रोकने के बारे में एक संगठित अनुसंधान करने के लिये एक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली के स्कूलों के लिये दुग्ध-चूर्ण और चीनी

६१५. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त दिया जाने वाला दुग्ध चूर्ण और चीनी पिछले तीन महीनों से बाजार मे बिक रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

६१६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रयोग सफल हुए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको सफल बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

६१७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खान :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों को मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऋण देने की शर्तों को बड़ा कड़ा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने विद्यार्थियों को ये ऋण दिये गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी नहीं। शर्तें काफी उचित हैं। इस योजना की प्रतियां संसद पुस्तकालय में दे दी गयी हैं।

(ग) यह योजना वर्ष १९६३-६४ से चालू हुई है और अब तक छात्रवृत्ति ऋण देने के लिये ६८०० विद्यार्थियों को चुना जा चुका है।

CONFERENCE OF STATE EDUCATION MINISTERS AND VICE-CHANCELLORS

618. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 371 on the 4th December, 1963 and state the steps taken by the Centre and the States for implementing the recommendations of the Conference of the State Education Ministers and Vice-Chancellors ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : Replies from the States are awaited. However, in so far as the Central Government is concerned the following action has been taken:—

I. **Elementary Education**

Resolution Nos. 1, 3, 4 and 6. The recommendations have been kept in view in preparing the draft proposals for the fourth Five Year Plan.

Resolution No. 2. The Government is taking steps to start advance action for expanding the education of girls and the preparation of women teachers and to emphasize these programmes in the Fourth Five Year Plan. A proposal to create a new scheme in the centrally sponsored sector for these programmes is also under consideration at present. Regarding the recommendation about accelerating the education for the weaker sections of the community, particularly the Scheduled Tribes, the matter is being considered in consultation with the Ministry of Home Affairs.

Resolution No. 5. It has not been found possible to accept this recommendation. The Government of India have fixed the terms and conditions of all loans to State Governments and it is not possible to alter these only in the case of loans for the construction of elementary school buildings and quarters for women teachers.

II. **Secondary & Higher Education**

I. *(a)*, *(b)*, *(d)*, *(e)* & *(f)*. These recommendations have been noted.

(c) & *(g)*. The National Council of Educational Research and Training has been asked to review the present syllabii and undertake the production of text-books in the light of these recommendations.

(h) It is not possible to implement this recommendation because of the commitment of resources to other schemes.

2 *(i)*, *(ii)*, *(iii)*, *(v)* & *(vi)*. These recommendations have been noted for implementation during the current plan to the extent possible and for incorporation in the 4th plan.

(iv) Same as (c) and (g) above.

III: The resolutions have been noted in so far as the Central Government is concerned.

Pay-Scales of University Teachers in Bihar

619. **Shsi Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1055 on the 4th December, 1963 and state :

(a) the progres made towards the introduction of the pay scale prescribed by the Commission in regard to the Universities in Bihar ; and

(b) the contribution made by the Centre in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The University Grants Commission had prescribed pay scales of different categories of University teachers on a sharing basis—80% by the Commission and 20% by the University. The Bihar State Government and Bihar State University Commission approached the University Grants Commission for financial assistance on cent percent basis. The Commission did not agree to this proposal.

(b) Does not arise.

भारत प्रतिरक्षा नियम

६२०. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत उनके लागू किये जाने के बाद से, किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका को सिक्योरिटी जमा करने को कहा गया ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) यह कार्यवाही किस आधार पर की गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, हां। केवल एक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

(ख) और (ग). २७ जून, १९६३ को 'कीपर आफ दी प्रेस' को, जहां 'मदर इण्डिया' (बम्बई से प्रकाशित पत्रिका) छपती है, महाराष्ट्र सरकार के जरिये एक नोटिस दिया गया। जिसमें उनसे दिसम्बर १९६२ से मार्च, १९६३ तक के अपने संस्करणों में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टें छापने के लिये भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ४५ के उप-नियम (१) के खण्ड (च) के अन्तर्गत ५००० रुपये की जमानत मांगी गयी । नोटिस दिये जाने के एक सप्ताह के भीतर यह जमानत जमा करा दी गयी।

जासूसी

६२१. { श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेश की ओर से जासूसी करने वाल और भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द ग्रुप कैप्टन प्रकाश चन्द्र पर मुकद्दमा चलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). भूतपूर्व ग्रुप केप्टन प्रकाश चन्द्र को निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था। और इसलिये उस पर मुकद्दमा चलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, उसकी नजरबन्दी पर परामर्शदाता बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।

National Loan Scholarships Scheme

622. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government have nominated officials in States in connection with National Loan Scholarships Scheme; and

(b) if so, the names of States where this scheme has been introduced and since when ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. To avoid delay and inconvenience to the students, officers of the State Government have been delegated powers to sign, on behalf of the President of India, the Bonds executed by the scholars under this scheme.

(b) The scheme has been introduced in all the States and Territories from the current year (*i.e.* 1963-64).

Theft of Cars and Taxis

623. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs be** pleased to state :

(a) the number of cars and taxis stolen from the capital and its surrounding areas in 1962 and 1963 and the number of those reco vered by the police;

(b) the positive steps taken by Government to put a stop to such incidents; and

(c) the number of persons arrested by the police so far in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis) :

(a)

Year	No. of cars stolen	No. of cars recovered	No. of taxis stolen	No. of taxis recovered
1962	49	49	2	2
1963	74	66	2	2

(b) (*i*) An Auto Theft Squad was set up in April, 1963.

(*ii*) Owners are educated about safe parking of vehicles specially when they are parked outside the parking lots.

(*iii*) Patrolling has been intensified in areas where large number of thefts have occurred.

(*iv*) Surveillance over suspects and previous convicts involved in automobile theft bas been enforced.

(c)

	Year 1962	Year 1963
	49	40

विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान

६२४. **श्री प्र० ना० विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्कूलों और कालिजों में विद्यार्थियों में धूम्रपान का फैशन तेजी से बढ़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका, ब्रिटेन और रूस के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की इस हाल की उपपत्तियों, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, के आधार पर विद्यार्थियों को इससे होने वाली हानि के प्रति शिक्षित करने के लिए कोई क्रियात्मक कदम उठाये हैं या उठायेगी ; और

(ग) क्या शिक्षण संस्थाओं में धूम्रपान की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक अन्दोलन चलाने के लिए शिक्षा अधिकारियों को कोई निदेश दिये गये हैं अथवा दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी, नहीं। कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) विद्यार्थियों में और अन्य वर्गों के लोगों में धूम्रपान से होने वाली हानि का प्रचार करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने "काश मैं धूम्रपान आरम्भ न करता" नामक (अंग्रेज़ी में और हिन्दी में) एक फोल्डर प्रकाशित किया है और 'धूम्रपान और केन्सर" नामक एक अन्य फोल्डर छप रहा है।

(ग) इस मामले का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकारों से है जिनमें से कुछ ने "बच्चों द्वारा धूम्रपान" रोकने के लिए और सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों समेत व्यस्कों और बच्चों द्वारा धूम्रपान निषेध के लिये कानूनी उपाय किये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को विशेषत: बच्चों और युवकों में धूम्रपान को निरुत्साहित करने के लिये और आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

बच्चों के लिये निवासी स्कूल

६२५. श्री प्र० ना० विद्यालंकार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए, जिन्हें अपने घरों से दूर भेजा गया है अथवा ऐसे पृथक् स्थानों को भेजा गया है जहां शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, निवासी स्कूल चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूल खोले जायेंगे और कहां पर खोले जायेंगे; और

(ग) क्या योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, प्राथमिकता के आधार पर (क) प्रतिरक्षा कर्मचारियों, (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, (ग) अखिल भारत सेवाओं के कर्मचारियों और (घ) बाकी जनता के बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सेकन्डरी स्कूल स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने की एक योजना है।

केन्द्रीय स्कूल योजना की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २४००/६४]**

वर्ष १९६३-६४ में इस योजना में २० स्कूल शामिल किये गये हैं। (**सची संलग्न है**) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४००/६४]** और वर्ष १९६४-६५ में इस योजना में ३५ स्कूल और शामिल किये जायेंगे। इस योजना में उन स्थानों पर, जहां प्रतिरक्षा कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी अधिक रहते हैं, लगभग १०० हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की व्यवस्था है।

लुनेज क्षेत्रों में तेल की खोज

६२६. श्री दे० जी० नायक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लूनेज क्षेत्र में तेल की खोज का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) लुनेज-मानासोली क्षेत्रों में तेल की खोज अभी जारी है ।

(ख) लुनेज-मानासोनी क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती भागों में अब तक किये गये खोज-कार्यों से पता चला है कि मध्यवर्ती भागों में तेल की मात्रा थोड़ी है और गैस काफी है, परन्तु इसका निकाला जाना लाभप्रद प्रतीत नहीं होता है । गैस वाला क्षेत्र पूर्व की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है । इसके विस्तार की सीमा का पता लगाने के लिए छिद्रण-कार्य जारी है ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

६२७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) क्या परियोजना स्थल पर सारी मशीनें लगा दी गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, ये मशीनें कब तक लगा दी जायेंगी ; और

(घ) क्या उत्पाद न की निर्धारित तिथि, अर्थात् १९६४-६५ का पालन किया जायेग ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार ।

(ख) सल्फूरिक एसिड और स्टील जेनरेशन प्लांटों के अतिरिक्त सभी बड़े उपकरण वहां पहुंच गये हैं ।

(ग) मुख्य संयंत्र और मशीनों के लिये कुछ छोटी छोटी वस्तुओं और सल्फूरिक एसिड और स्टील जेनेरेशन प्लांटों के जून, १९६४ से पहले पहुंच जाने की आशा है ।

(घ) जी, हां । बिजली उपलब्ध होने पर ।

सेना की वर्दियां

६२८. **श्री च० कु० भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को पुलिस, सशस्त्र कांस्टेबुलेरी और होम गार्डों द्वारा सेना की वर्दियां न पहने जाने के बारे में निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के बारे में भी ऐसे ही कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) भ्रम दूर करने के लिये ।

(ग) जी, हां। सरकारी वादयों अथवा इन वर्दियों से मिलती जुलती वर्दियों का गैर-कानूनी प्रयोग भारत की प्रतिरक्षा नियमों के नियम ५६ के अन्तर्गत अपराध है। राज्य सरकारों से इसका प्रचार करने का अनुरोध किया गया है।

पिछड़ेपन के लिय आर्थिक कसौटी

६२९. श्री हेम राज : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने जनता के आर्थिक स्थिति के आधार पर पिछड़ेपन के निर्धारण क बारे में अभी तक अपने उत्तर नही भेजे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : उत्तर दिये जाने के बाद से आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पत्र प्राप्त हुए हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक कसौटी की बात स्वीकार कर ली है और वह १ अप्रैल, १९६४ से इस परिवर्तन को लागू करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक कसौटी अपनाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाई बतलायी है ।

लक्ष्मीबाई कालिज ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन, ग्वालियर

६३०. श्री गो० महन्ती : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार लक्ष्मीबाई कालिज ऑफ फिज़िकल एजकेशन, ग्वालियर को कितना वार्षिक अनुदान देती है ; और

(ख) इस प्रकार के किस अन्य कालिज को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष १९६१-६२ से लक्ष्मीबाई कालिज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ग्वालियर को और अन्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सहाय्य अनुदान के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४०१/६४]**

'Virat Mandir' in Suhagpur (M. P.)

631. **Shri Uetiya :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 'Virat Mandir' belonging to the Mahab harata age situated in village Suhagpur, District Shahdol, Madhya Pradesh, is in a dilapidated condition; and

(b) if so, the action being taken for the protection of the temple ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Though the temple is in need of repairs its condition cannot be regarded as dilapidated.

(b) The Archaeological Survey of India is attending to its repairs.

भारतीय प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता

६३२. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान ने भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता को बड़ी रकम दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान का क्या उद्देश्य है और इस अनुदान पर क्या कार्य किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) फोर्ड प्रतिष्ठान ने अगस्त, १९६४ में समाप्त होने वाले तीन-वर्षों में भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता को १०,४४,००० डालरों का अनुदान मंजूर किया है ।

(ख) संस्थान में 'प्रबन्ध' में अग्रिम पाठ्यक्रम चलाया जाता है और फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया अनुदान संस्थान में काम कर रहे अमरीकी विशेषज्ञों, उपकरणों, संभरण, और पुस्तकालय और राज्यों में भारतीय अध्यापकों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाने के लिये है ।

स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां

६३३. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका, हांगकांग, जमैका और नाइजीरिया की सरकारों ने विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां देने के लिए भारतीय राष्ट्रजनों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है या उठा चुकी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इन सरकारों ने भारत सरकार से इन छात्रवृत्तियों क लिए भारत से उम्मीदवार मनोनीत करने की प्रार्थना की है ।

(ख) इन छात्रवृत्तियों के बारे में भारत में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये और आवेदन-पत्र मांगे गये । एक विशेष रूप से बनायी गई चयन समिति द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को ३१ दिसम्बर, १९६३ तक मनोनीत कर दिया गया ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों का कल्याण

७३४. श्री बलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३–६४ में अनसूचित जातियों के कल्याण के लिए पंजाब राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) उपरोक्त वर्ष में राज्य सरकार को वास्तव में कुल कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) यह धनराशि किस योजना पर व्यय की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ३७.१५ लाख रुपये ।

(ख) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, ग्राह्य केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई वित्त मंत्रालय द्वारा मई, १९६३ से आरम्भ करके नौ समान मासिक किश्तों में मार्गोपाय अग्रिम के तौर पर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में वे जो व्यय के आंकड़े (अप्रैल, से दिसम्बर, १९६३ तक वास्तविक व्यय / जनवरी से मार्च ,१९६४ तक प्रत्याशित) बतायेंगे, उनके आधार पर अस्थायी भुगतान स्वीकृति के बारे में राज्य सरकार को बता दिया जायेगा ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४०२/६४]**

इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम

६३५. **श्री कैप्पन :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) क्या वर्तमान पाठ्यक्रम अपर्याप्त है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). इंजीनियरिंग की डिग्री के पंचवर्षीय समेकित कोर्सों के लिये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये हैं। इंजीनियरिंग में डिपलोमा के २ वर्ष के तकनीकी कोर्स के लिए भी अखिल भारतीय परिषद् ने एक विस्तृत योजना बनाई है।

आदिम जाति कल्याण के लिये अट्टापाड़ी योजनाएं

६३६. **श्री प० कुन्हन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अट्टापाड़ी क्षेत्र में सरकार ने अब तक आदिम जाति कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की है ; और

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

Recognition to Games

637. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accorded recognition to certain games ;

(b) if so, the names of such games ;

(c) whether Government are now sanctioning more amounts than in the past for promotion of these games ; and

(d) if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) Government have recognised National Federations governing the following games:—

Athletics, Badminton, Ball-Badminton, Basketball, Billiards, Boxing, Bridge, Chess, Cricket, Cycling, Football, Golf, Gymnastics, Hockey, Kabaddi, Lawn Tennis, Polo, Rifle-shooting, Squash-Rackets, Swimming, Table Tennis, Volleyball. Weight-lifting, Wrestling and Yachting.

(c) & (d). A statement showing the figures of expenditure from 1961-1962 onwards is enclosed. **[Placed in library. See No. LT-l2403/63].**

Translation Directorate in Delhi University

638. **Dr. L. M. Singhvi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) whether a Translation Directorate has been set up in the University of Delhi ;

(*b*) if so, the object and the programmes thereof ;

(*c*) the nature of control Government exercise over the appointment of officers, programmes and expenditure of the Directorate ;

(*d*) the amount of money spent so far by the University and the Central Government on the Directorate ; and

(*e*) the details of the work done by the Directorate ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :

Statement

(a) to (d). For the implementation of the Ministry of Education's scheme for 'Preparation, Translation and Publication of Standard Works', Translation Directorates have been set up at three Centres, one being in the Delhi University. This Directorate started functioning on 1st July, 1963. It is under the control of the Delhi University. The University has set up a Managing Commiitee with a representative of the Ministry of Education for the purpose. Seven books on Mathematics, Zoology and political Science have so far been allotted to the Directorate for translation into Hindi, and their publication.

Appointment of staff are made by the University on the recommendatio s of a Selection Committee having a representative of the Ministry of Education, and presided over by the Vice-Chancellor.

Programme and progress of work of the Directorate are reviewed by a Reviewing Committee for each subject, consisting of subject-specialists in the University, the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Tachnical Terminology.

The entire expenditure on the Directorate is borne by the Government of India. An expenditure of Rs. 55,410/- was incurred upto 31st January, 1964.

(*e*) Out of the 7 books, translation of two books has been completed, and translation of 5 books is in progress.

केरल में योग्यता एवं साधन के आधार पर छात्रवृत्तियां

६३९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में आंध्र प्रदेश में प्रत्येक तकनीकी संस्थान के लिए केन्द्रीय सरकार ने योग्यता एवं साधन के आधार पर कितनी छात्रवृत्तियां मंजूर की हैं; और

(ख) १९६४–६५ के लिए राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पहले दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त १९६३–६४ में योग्यता एवं साधन के आधार पर योजना के अतर्गत आंध्र प्रदेश में

तकनीकी संस्थानों के प्रथम वर्षीय छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं :—

संस्थान का नाम	१९६३–६४ में दी गई नई छात्र-वृत्तियां
(एक) प्रथम डिग्री कोर्स के संस्थान	
१. कालिज आफ इंजीनियरिंग, अनन्तपुर	१७
२. कालिज आफ इंजीनियरिंग, काकीनाडा	१७
३. कालिज आफ इंजीनियरिंग, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद .	३५
४. श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कालिज आफ इंजीनियरिंग, तिरुपती	१२
५. आंध्र यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, वालतायर .	१२
६. जे० वी० डी० कालिज आफ साइंस एंड टेक्नालोजी, वाल्टेयर ।	७
७. गवर्नमेंट कालिज आफ फारेन आर्ट्स एंड आरकिटेक्चर, हैदराबाद ।	१
	कुल १०१
(दो) डिपलोमा कोर्स के लिये संस्थान	
१. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, हैदराबाद .	६
२. आन्ध्र पालीटेक्निक	६
३. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, अनन्तपुर . .	३
४. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, महबूबनगर . .	३
५. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, परोदत्तुर . . .	३
६. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, निजामाबाद. . .	३
७. डिपार्टमेंट आफ कैमिकल टेक्नालोजी उसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ।	६

संस्थान का नाम	१९६३-६४ में दी गई नई छात्रवृत्तियां
८. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, वारंगल	३
९. गवर्नमेंट पालीटेक्नि विजयवाड़ा . .	५
१०. गवर्नमेंट पालीटेक्निकनेक्, वेलोर .	३
११. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, नन्दपाल	३
१२. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, श्री काकुलम .	३
१३. एस० वी० गवर्नमेंट पालीटेकिनक, तिरुपती .	५
१४. गवर्नमेंट पालीटेक्निक, गुंतूर . . .	३
१५. कृष्णदेवप्पा पालीटेक्निक, वेलापार्थी. . .	३
१६. हैदराबाद पालीटेक्निक, हैदराबाद . . .	५
१७. श्री एम० वी० एम० पालीटेक्निक, तनुकू	४
कुल	६७
कुल जोड़	१६८

(ख) १९६४–६५ में दिये जाने वाली राशि २,०५,२५० रु० होगी जो कि दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या पर आधारित है।

आन्ध्र प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित

६४०. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों को कुल कितनी राशि का वितरण किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १,५५,६३० रु० ।

विश्वविद्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

६४१. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषतया स्नातकोत्तर स्तर और अनुसंधान के क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालयों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों को प्राप्त करने में कहां तक प्रगति की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है अथवा लगाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तरीके अपनाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत के कुछ विश्वविद्यालयों के विभागों ने अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है ।

(ख) और (ग). भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और अनसंधान के स्तरों के प्रश्न पर जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति की नियुक्ति की है । समिति ने अभी अपना प्रतिवदन नहीं दिया है ।

दिल्ली के स्कूलों में ऐच्छिक विषय

६४२. श्री गु० सिं० मुसाफिर : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी श्रेणी का एक विद्यार्थी, अपने माता पिता द्वारा लिखित आवेदन पत्र के बिना, दिल्ली प्रशासन द्वारा २६,२७ नवम्बर को जारी किये गये पत्र संख्या एफ० (१५७) ६३—ई० डी० एन० में दी गई हिदायतों में उल्लिखित ऐच्छिक विषयों की सूची में से दो ऐच्छिक विषय ले सकता है; यदि उन में से एक विषय तीसरी भाषा का विषय नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि छठी श्रेणी के विद्यार्थी तीसरी भाषा लेना चाहें तो इसके लिये उनके माता पिता को स्कूल अधिकारियों को लिखित आवेदन पत्र देने पड़ेंगे ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस भेदभाव का कारण यह है कि वदि तीसरी भाषा लेने वालों की संख्या कम से कम १२ है तो स्कूल को उस विषय के अध्यापन का प्रबन्ध करना ही पड़ेगा चाहे इसके लिये वहां सुविधाएं न भी हों, जब कि अन्य ऐच्छिक विषयों में स्कूल के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है । इसलिये स्कूल के अधिकारी भाषा विशेष के लिये विद्यार्थियों की संख्या पक्की तरह जानने के लिये उनके माता पिता की मंजूरी लेत हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर के अधिकारी

६४३. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के राज्य संवर्गों से कुल कितने अधिकारी लिये गये ; और

(ख) केन्द्रीव सेवाओं और राज्यों में कितने अधिकारियों ने अपने प्रतिरूपों से स्थान बदला है और कहां और किन विभागों में इन राज्य अधिकारियों को काम दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा	१५
भारतीय पुलिस सेवा . . .	६

(ख) कोई नहीं।

हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

६४४. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने, जो दिसम्बर, १९६३ में बैठा था, क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है और उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सिफारिशों का सारांश अनुबन्ध में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२४०४/६४]**

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों से सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये उचित कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना की गई है। गृह-कार्य मंत्रालय में, उन सिफारिशों पर जिनसे कि वह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं कार्यवाही की जा रही है।

अनुसंधान के लिये सहायता

६४५. डा० महादेव प्रासद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना चालू की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० २४०५/६४]**

राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें

६४६. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक पीड़ितों को लोक सेवाओं में भरती के लिये कोई रियायत दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या ये आदेश राज्य उपक्रमों पर भी लागू होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत जहां अर्हता संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं और उम्मीदवार की योग्यता का पता लगाने के लिये अन्य बातें भी समान हों, तो लोक सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का चयन करने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय कार्य में भाग लेने को अतिरिक्त अर्हता समझें और उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये काम किया है।

(ख) विषय पर आदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--२४०६/६४]** आदेशों के पैरा २ में दी गई आय संबंधी रियायतें ३१ दिसम्बर, १९५१ के बाद से लागू नहीं होती।

(ग) भरती के मामले में राज्य उपक्रम अपनी नीति का अनुसरण करते हैं।

विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा

६४७. { **श्री रामपुरे :**
श्री कोया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले वर्ष विश्वविद्यालयों में डाक द्वारा शिक्षा कार्यक्रम चालू करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन विश्वविद्यालयों में यह योजना चालू की जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय ने सितम्बर १९६२ से प्रयोगात्मक आधार पर बी० ए० (पास) में डाक द्वारा शिक्षा कार्यक्रम चालू किया है। यदि दिल्ली में किया जाने वाला प्रयोग सफल हो जाता है, तो इस योजना को अन्य विश्वविद्यालयों में चालू करने का प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

स्त्री शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद्

६४८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मैमना सुल्तान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० फरवरी, १९६४ को नई दिल्ली में स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की छठी बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें और टिप्पणियां की गईं ; और

(ख) उनको ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). एक विवरण सलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--२४०७/६४]**

निकोबारी खोपरे का मूल्य

६४९. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता और मद्रास में निकोबारी खोपरा और सुपारी के मूल्य, निकोबार द्वीप समूह से पोर्ट ब्लेयर और वहां से कलकत्ता--मद्रास तक जहाजी भाड़ा और मुख्य भूमि मंडियों में इसके भेजे जाने और विक्रय सम्बन्धी अन्य व्यय क्या हैं जिनके आधार पर द्वीप समूह के मुख्यायुक्त ने १ जुलाई, १९६३ को और इसके बाद से निकोबारी खोपरे और सुपारी के पुनरीक्षित न्यूनतम क्रय-मूल्य निर्धारित किये ?

गृह-कार्य मंत्रालय मं राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

लक्कदीव द्वीपसमूह में न्यूनतम मजूरी के लिये सलाहकार बोर्ड

६५०. { श्री अ० ब० राघवन :
श्री पोट्टकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्र के लक्कद्वीप द्वीप समूह में सड़कों के निर्माण या सधारण अथवा इमारत के कामों पर नियोजन के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये एक सलाहकार बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) लक्कदीव संघ राज्य-क्षेत्र में दी जाने वाली मजूरी केरल में दी जाने वाली मजूरी की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य-क्षेत्र और केरल में दैनिक मजूरी निम्न है :--

दैनिक मजूरी की दरें

	लक्कदीव द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र	राज्य लोक निर्माण विभाग की अनुसूची के अनुसार केरल (शहरी सीमाओं को छोड़ कर सभी स्थानों में)
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
अदक्ष मजदूर	२.००	१.५० से २.०० (पुरुष मजदूर)
दक्ष मजदूर	४.०० से ५.५०	३.०० से ३.५०

Appointment of D. Cs.

651. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to appoint three Deputy Commissioners to run the Delhi Administration ; and

(b) if so, when they are likely to be appointed ?

The Minister of State in the Minstry of Home Affairs (Shri R. M. Hajarnavis) : (a) and (b). Certain proposals in this regcrd have been received from the Chief Commissioner, Delhi, which are under consideration of the Government.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा शरणार्थियों पर गोली चलाये जाने की कथित घटना

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

आसाम की गारो पहाड़ियों में आने वाले शरणार्थियों पर ६ और ७ फरवरी, १९६४ को पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : असम सरकार ने हमें सूचना दी है कि ६ फरवरी १९६४ की शाम को जब करीब १००० शरणार्थियों की एक टोली मैमन सिंह जिले से, डालू पुलिस थाने के अन्तर्गत, भोगेरघाट के निकट भारत-पाकिस्तान सीमा को पार कर रही **थी,** तब पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने शरणार्थियों की इस निहत्थी टोली पर गोली चला दी जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे । यह विदित है कि कम-से कम ११ शरणार्थी घायल हुए और अंधाधुंध गोलीबारी के इस क्रूर कार्य में ३ और ४ वर्ष की उम्र के २ बच्चे मारे गये । शरणार्थी इन घायलों और मृत व्यक्तियों को डालू ले गये ।

असम सरकार ने ७ फरवरी के अपने तार में पूर्व पाकिस्तान सरकार के मुख्य सचिव को इस गंभीर घटना के व्योरे की रपोर्ट देते हुए "इन्सानियत के नाम पर यह अपील की थी कि वह इसे तत्काल समाप्त करने के लिये पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों को यथासंभव कठोरतम आदेश जारी करे और कहे कि वे हमारे प्रदेश में प्रवेश करने वाले भयभीत शरणार्थियों पर गोलियां न चलाएं और न उन्हें जबर्दस्ती रोकें ।"

विदेश मंत्रालय ने १३ फरवरी को नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को एक औपचारिक नोट दिया जिसमें पाकिस्तान सरकार का ध्यान भारत सरकार के १ फरवरी के नोट की ओर आकर्षित करते हुए पाकिस्तान को यह याद दिलाया गया था कि वह पूर्व पाकिस्तान में साम्प्रदायिक मेलजोल स्थापित करने के लिये जिम्मेदार है और गोलीबारी की घटना को "अकारण हत्या" कहा और पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया कि वह इस तरह के कारनामों को फौरन समाप्त करे और "इस जघन्य अपराध के लिये जिम्मेदार लोगों को जहां तक हो, सख्त-से-सख्त सजा दे ।" पाकिस्तान सरकार से यह ज़ोर दे कर कहा गया कि भारत सरकार के ख्याल में पूर्व पास्कितान

से भारत में आने वाले हजारों शरणार्थियों को "सुनियोजित साम्प्रदायिक उपद्रवों के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है और पाकिस्तान सरकार को जब साम्प्रदायिक शांति और मेलजोल की तत्काल पुनः स्थापना करने के लिये पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी जो कि दोनों देशों के बीच भावी सहजीवन की कसौटी है।"

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त को सरकार ने इस संबंध में अनुदेश देने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा इस संबंध में अभी तक कदम उठाना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया कि वहां से आने वाले शरणार्थियों के लिये सैनिक सुरक्षा की व्यवस्था करवाये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में गोली चलाये जाने की घटना हुई थी।

श्री हेम बरुआ : हम उच्चायुक्त को सैनिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में अनुदेश दे सकते थे ......

अध्यक्ष महोदय : हम उनके राज्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते।

श्री हेम बरुआ : क्या हमने पाकिस्तान से प्रार्थना की है कि वह हमें उन शरणार्थियों को सैनिक सुरक्षा प्रदान करने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** Whether it is a fact that elections are going to be held in Garo Hills have been postponed because there is an unending exodus of refugees and Government have not been able to control the situation ?

Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : I cannot understand as to which particular election the hon. Member is referring to. But on the basis of what I have understood I should say that he should not see politics in each and every thing.

होली का उत्सव न मनाये जाने के बारे में

RE: NON-CELEBRATION OF HOLI

Mr. Speaker : I have received a notice from Shri Prakash Vir Shastr and some other Members requesting the House to pass a resolution for non-celebration of Holi festival in view of sufferings inflicted on the Hindus of East Bengal. If it is meant to be a resolution they should adopt the normal procedure and if it is an appeal the hon. Members may directly exercise their own right for such an appeal.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad) **:** At least we can 'e your guidance.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह सभा धर्म निरपेक्ष है। धर्म संबंधी बातों पर यह निर्णय कैसे ले सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर रहा तो औचित्य प्रश्न कहां उठता है।

Shri Prakash Vir Shastri Bijnor) : Mr. Speaker, Sir, my only request was for not celebrating the Holi festival by sprinkling coloured water as it sometimes gives rise to trouble which can be exploited by the poor-Pakistan elements in the country. The hon. Home Minister too has agreed to my proposal. My only purpose was to make the feelings of the House known to the nation.

Mr. Speaker : I have full sympathy with what has been said but I cannot allow any discussion over it unless it is submitted in the form of a Resolution.

श्री त्यागी (देहरादून) : अनौपचारिक रूप से हम सब माननीय सदस्य से हमसत हैं। औपचारिक संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Deputy Speaker, Sir in the last session of Lok Sabha the issue was repeatedly raised on the floor of the House that the Central Co-operative Store,Delhi has been indulging in some malpractices. While replying to my Supplementary question No. 6 dated, 19-12-63, that whether it was laid down in the Licensing order that the name and address of the customer should be mentioned on the receipt and whether it was a fact that this condition was being evaded and if so the action taken against the Store, the hon. Minister (Shri A. M. Thomas) had stated that there was no such condition in the Licensing order.

Sir, it has been clearly laid down in section 5 of Delhi Khandsari and Gur Dealers Licensing Order, 1963 published on page 415 of Delhi Gazette (Extra Ordinary) Part IV dated 6th August, 1963 that the licencee shall issue to every customer a correct receipt or invoice, as the case may be, giving his) own name, address and licence number, *the name and the licence number (if any) of the customers.*

I would like to know the reason as to why the hon. Minister has given wrong information to the House and what action has been taken against the Store for evading these conditions ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं उत्तर की शुद्धी में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। लाइसेंसिंग आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं है। लाइसेंस के फार्म में ऐसी शर्त दी हुई है। मैंने श्री प्रकाश वीर शास्त्री के प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि लाइसेंसिग आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं दी हुई। दुबारा जांच करने पर मुझे पता चला कि यद्यपि स्वयं लाइसेंसिग आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई किन्तु उस आदेश के अन्तर्गत विहित लाइसेंस फार्म में अन्य बातों के साथ साथ हय शर्त भी दी गई है। इस स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा दिये गये उत्तर का प्रथम वाक्य इस प्रकार संशोधित कर लिया जाये :

"लाइसेंसिग आदेश के अन्तर्गत विहित लाइसेंस के फार्म में ऐसी शर्त दी हुई है।"

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस संबंध में जांच करने का कार्य पुलिस को सौंप दिया गया है और अब लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निश्चय कर लिया है और वे इस विषय में विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं।

श्री बड़े : श्रीमन् यदि फार्म नियम के अन्तर्गत विहित है तो पहले से ही वहां शर्त मौजूद है। फिर माननीय मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि वहां कोई शर्त नहीं थी।

Mr. Speaker : He has now corrected his statement when he found that though there was no such condition prescribed in the Licensing Order itself ; it was laid down in the form of the license prescribed under Licensing Order.

श्री बड़े : श्रीमन् जब शर्त मौजूद है तो इसका अर्थ यही है कि यह नियमों के अन्तर्गत विहित है।

Mr. Speaker : I would like to say this much that the answer given by the Minister was technically correct as the question was about the Licensing Order and which has no such condition. But the answer should be complete and according to the spirit of the question so that there might not be any room for misunderstanding. Even though the Minister might have done it inadvertently the inference drawn by Shri Prakash Vir Shastri was not conducive to him.

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही कह दिया था कि स्टोर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। माननीय मंत्री के उत्तर की प्रवृत्ति सभा को गुमराह करने वाली है। अधीनस्थ विधान में नियमों के अधीन विहित फार्म भी विधान के ही अंग होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह अनुमान नहीं लगाया जाये कि सभा को गुमराह करने का इरादा था।

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में
RE : ALLEGED BREACH OF PRIVILEGE

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : पहले कई अवसरों पर सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्यों, घोषणाओं और उसकी नीति की घोषणा के संबंध में जो सभा की बैठक होते समय, सभा के बाहर किये गये हों, उल्लेख हो चुका है। कई ऐसी घटनायें प्रकाश में आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे मुझे लिख कर सूचित करें। यहां इस प्रकार उस विषय को न उठायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लिखने का समय नहीं था। यह बात आज के ही पत्र में प्रकाशित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : तो वह आज मुझे लिख कर दे दें और कल इस विषय को उठायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजी है

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्यवाही की जा चुकी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विषय पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि वे इस समय उस विषय को न उठायें।

सभा के कार्य के बारे में
Re : Business of the House

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : श्रीमन् खाद्य के संबंध में होने वाले वाद-विवाद के लिये निर्धारित समय की घोषणा कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। वे उसमें भाग लें।

रेलवे आय-व्ययक १९६४-६५—सामान्य चर्चा—जारी
RAILWAY BUDGET 1964-65—GENRAL DISCUSSION—contd.

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : श्रीमन्, मैंने सदस्यों के भाषण सुने। रेलवे बजट की सराहना करने के साथ ही व्यक्तिगत रूप से मेरी भी कुछ प्रशंसा की गई है।

सब से पहले मैं वित्तीय पहलू पर प्रकाश डालूंगा। इस संबंध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं। सर्वश्री नम्बियार, अ० प्र० शर्मा और डा० सरोजिनी महिषी ने स्थिति को संतोषजनक बताया है जबकि अन्य सदस्यों श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री पीटर अल्वारेस आदि ने स्थिति को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस का अर्थ यह है कि रेलवे की स्थिति बीच की है।

श्री वारियर ने कहा कि रेलवे का राजस्व १९६१–६२ में ९९ करोड़ था और चालू वर्ष में १३० करोड़ हो गया है। इस प्रकार ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह गणना की भूल है। वास्तविक वृद्धि ३३ प्रतिशत हुई है। उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि इस पूरे काल में विकास निधि में ३० करोड़ रुपये दिये गये। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि ब्याज देय राशि १९६१–६२ में १६८३ करोंड़ रुपये थी और अब २१३६ करोड़ रुपये हो गई है।

१९५०–५१ में बचत ब्याज देय राशि की १.८२ प्रतिशत और १९५६–५७ में १.८७ प्रतिशत थी। अतः १९६४–६५ में जबकि ब्याज देय राशि २३८९ करोड़ रुपये है तब बचत ४० करोड़ रुपये से ऊपर होनी चाहिये थी।

मैंने अपने भाषण में पहले भी कहा है कि रेलवे उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को अधिक सुविधायें देने और संचालन में अधिक कुशलता लाने की मांग निरन्तर बढ़ रही है। उसे पूरा करने के लिये अतिरिक्त व्यय बचत की राशि में से ही किया जायेगा।

यह तर्क भी उपस्थित किया गया था कि आय को कम कर के और व्यय को बढ़ा कर दिखाया जाता है। मेरे पहले दो साथियों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि गत ७ वर्षों में आय और व्यय के

प्राक्कलन आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों से अधिक अन्तर नहीं था। आने वाले वर्ष के लिए भी बचत के आंकड़े कम कर के नहीं दिखाये गये। हमें इस बात से भी चिन्ता है कि हमें समुचित यातायात उपलब्ध नहीं हो पाता।

श्री नम्बियार ने कहा कि मूल्य-ह्रास निधि में अधिक रुपया रखा गया है। उन्होंने कहा कि १७०० करोड़ रुपये की पूंजी पर २ प्रतिशत के हिसाब से ४२ करोड़ रुपये पर्याप्त था। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी योजना में मूल्य ह्रास निधि में ४८ करोड़ रुपये रखा गया था और वह राशि तीसरी योजना में ८० करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने पूंजी १७०० करोड़ रुपये कैसे लगाई।

श्री नम्बियार : मैंने १९६१–६२ के आंकड़े लिये हैं।

श्री दासप्पा : मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने उस वर्ष के आंकड़े क्यों लिये। १९६२–६३ की ब्याज देय पूंजी १८९६ कराड़ रुपये है और मार्च १९६४ के अन्त तक इस के २१३६ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। १९६४–६५ में यह अनुमानतः २३८९ करोड़ रुपये हो जायेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) **:** यदि इसे २००० करोड़ रुपये भी मान लिया जाये तो २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत के हिसाब से ५० करोड़ रुपये होते हैं। फिर ८० करोड़ रुपये किस तरह रखे गये ?

श्री दासप्पा : मैं इस के उपयोग किये जाने के बारे में बताऊंगा तब माननीय सदस्य समझ जायेंगे।

सारी सम्पदा की मरम्मत करने के लिए इस निधि से रुपया लिया जाता है। यह सम्पदा कुल ३००० करोड़ रुपये की है और इस प्रकार ८० करोड़ रुपये कुल सम्पदा का २.०७ प्रतिशत ही है।

१९६२–६३ में इस निधि में से ७५ करोड़ रुपये निकाले गये थे। अगले वर्ष भी इतने ही रुपये लिये जाने का अनुमान है। वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी वह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। रेलवे कन्वेन्शन समिति ने सिफारिश की है कि नवीकरण करने के और पुर्जे बदलने के लिये आवश्यक सारा व्यय इसी निधि में से लिया जाये जिससे पूंजी की वृद्धि न हो। यह एक स्वस्थ प्रणाली है। इस से राजकोष पर दबाव नहीं पड़ेगा। शनैः शनैः योजनाओं द्वारा विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और नवीकरण करने, पुर्जे बदलने के लिये रेलवे स्वयं अपने संसाधनों से अर्थ व्यवस्था कर सकेगी।

यह कहना सरल है कि यदि मितव्ययिता की जाये तो भाड़ा बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े।

भाड़ा ढांचा जांच समिति का यह मत था कि भाड़े में वृद्धि करना अनिवार्य है १९५५–५७ के कार्य-परिव्यय को ध्यान में रख कर ७ वर्ष पहले समिति ने जितनी वृद्धि करने की सिफारिश की थी, प्रस्तावित वृद्धि के बाद हम उससे कुछ ही सीमा तक ऊंची स्थिति पर पहुंचेंगे जबकि १९५७ के बाद से कार्य-परिव्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कार्य कुशलता में सुधार करने के कारण ही अब तक किराये और भाड़े में वृद्धि नहीं की गई। परिव्यय ३३ प्रतिशत बढ़ गया है जबकि प्रस्तावित वृद्धि के बाद कुल वृद्धि केवल २० प्रतिशत ही होगी।

[श्री दासप्पा]

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि भाड़े में वृद्धि करने से मूल्य बढ़ जायेंगे । किन्तु वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण संबंधी उपायों के अपनाने से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के यातायात का परिव्यय कम हो जायेगा । यह स्वाभाविक ही है कि मजूरी में और रेलवे में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से रेलवे का परिव्यय भी कुछ न कुछ बढ़ेगा ही । रेलवे का अधिक उपयोग करने पर यह सम्भव हो सकेगा इन बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव रेलवे उपभोक्ता पर न पड़ने दे ।

अब मैं मरम्मत और नवीकरण की बढ़ती हुई मांगों और उन्नत स्तर के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । सभा में इस विषय में मांग की गई है । विकास और विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है । इन बातों के लिए अधिक व्यय किये जाने की आवश्यकता है और यदि भाड़ा नहीं बढ़ाया गया तो दूसरा उपाय करों में वृद्धि करना है; किन्तु इससे उद्योग और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि क्या भाड़े में वृद्धि तर्कसंगत रूप में की गई है अथवा मनमाने रूप में क्योंकि यह निर्यात किये जाने वाली अयस्क के अतिरिक्त सब पर लागू होती है । मैंने यह अपने पहले भाषण में उन सब कारणों पर प्रकाश डाला है जिस से रेलवे के कार्य-परिव्यय में वृद्धि हुई है और तदनुसार सब प्रकार के पदार्थों के ढोने के परिव्यय में भी वृद्धि हुई है । अक्टूबर १९५८ में अपनाये गये मूल भाड़ा ढांचे पर यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो अब भी कोई आपत्ति नहीं उठनी चाहिये क्योंकि तब से समस्त पदार्थों के ढोने के परिव्यय में समान रूप से वृद्धि हुई है । इसलिये यह तर्क उचित नहीं कि सब वस्तुओं के भाड़े में वृद्धि किया जाना तर्क संगत नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : भाड़े की दरों के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त क्यों नहीं की जाती ।

श्री दासप्पा : हम ने की थी और उसी की सिफारिशों के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं ।

पूंजी पर उपयुक्त प्राप्ति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से सहमत हूं । पहले तीन वर्षों में ६·२ प्रतिशत की प्राप्ति हुई थी जो १९६४–६५ में भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि के बाद भी ५·६ प्रतिशत होगी ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि रेलवे की वर्तमान सन्तोषजनक स्थिति का कारण उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं अपितु उसका मुख्य कारण यह है कि व्यापार में मंदी रही है ।

पहली योजना में हमने औसतन ४६ लाख टन और दूसरी योजना में ८० लाख टन अतिरिक्त माल ढोया था । किन्तु तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में ही हमने ३ करोड़ टन का अतिरिक्त भार ढोया है । क्या यह रेलवे की सफलता नहीं है ? यह रेलवे की क्षमता में वृद्धि होने के कारण हुआ है, व्यापार में मंदी के कारण नहीं । शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या रेलवे की बढ़ी हुई क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये यातायात उपलब्ध हो सकेगा या नहीं ?

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : क्या माननीय मंत्री को यह आशा नहीं है कि तीसरी और चौथी योजना के अन्तर्गत रेलवे के ढोने के लिये अधिक माल उपलब्ध होगा ?

इस समय हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य से गुजर रहे हैं । चौथी योजना के अन्त तक हम रेलवे का परिवहन लक्ष्य, जो २४५० लाख टन की क्षमता निर्धारित किया गया है, प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं । कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस समय परिवहन की स्थिति संतोषजनक नहीं है । परिवहन की मांग कम हो गई है । किन्तु यह अवरोध अस्थायी है और इस स्थिति में शीघ्र सुधार हो जायेगा । हम कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं । कुछ माननीय सदस्यों का यह सोचना कि मंत्रालय में आत्म-तुष्टि की भावना आ गई है, निराधार है ।

रेलवे सार्वजनिक उपयोगिता समवाय के साथ साथ वाणिज्यिक उपक्रम भी है । वर्ष १९५४ में रेलवे कनवेंशन समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची थी कि रेलवे सार्वजनिक उपयोगिता समवाय तथा वाणिज्यिक उपक्रम दोनों है । रेलवे एक ओर तो अर्थ व्यवस्था के हित में सस्ते दरों पर परिवहन की व्यवस्था करती है और दूसरी ओर उसे अर्थ व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिये बिक्री कर, स्थानीय कर, आदि प्रभार देने पड़ते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों की यह मांग करना कि रेलवे गैर-सरकारी समवायों के हाथ में होनी चाहिये, जिससे कार्य अधिक कुशलता और मितव्ययता से चल सके, गलत है । कुछ रेलवे जो इस समय गैर सरकारी समवायों द्वारा चलाई जा रही हैं अच्छी स्थिति में नहीं हैं, । उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा वे अपेक्षित क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं । वे सदा राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करती रहती हैं ।

जहां तक रेल-रोड समन्वय का संबंध है, यह कार्य श्री नियोगी के त्यागपत्र के बाद भी श्री त्रिलोकसिंह की अध्यक्षता में सुचारु रूप से चल रहा है । इस समिति ने बहुत उपयोगी सामग्री एकत्रित कर ली है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री नियोगी के त्यागपत्र के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री दासप्पा : अब तो हम समन्वय की बात कर रहे हैं, श्री नियोगी के त्यागपत्र की नहीं । योजना आयोग की ओर से मैं कोई आश्वासन इस सदन को नहीं दे सकता । मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि श्री नियोगी के त्यागपत्र के बाद भी रेल-ट्रेड समन्वय समिति का कार्य जारी है । और आशा यह है कि आगामी छः मास में इस बारे में समिति का प्रतिवेदन आ जायेगा, और इस बारे में विचार कर लिया जायेगा ।

एक अन्य बात जो कही गयी थी वह 'कन्टेनर' सेवा के बारे में थी । इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि यह जो योजना रेलवे द्वारा चलाई गयी थी, इसका नागरिकों और व्यापारियों दोनों ने स्वागत किया है । इसमें सुविधा यह है कि माल शीघ्रता से भेजा जा सकता है । और दूसरे इसमें चोरी का डर नहीं रहता ।

श्री हनुमन्तैया द्वारा जो छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की बात कही है, इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने इस बारे में जो नीति अपनाई है वह स्पष्ट और उचित है । यातायात की जो भी स्थिति हो, यह सच है कि कई एक गेज होने से कुछ कठिनाइयों का तो सामना करना ही होता है । परन्तु आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें हमारे लिए यह सम्भव नहीं कि सारी अथवा अधिक पैमानों पर मीटरगेज लाइनों को तुरन्त बड़ी लाइनों में बदल दें । यह बदलने का प्रश्न तो तब ही

[श्री दासप्पा]

विचाराधीन आता है जब कि यातायात की दृष्टि से इस पर विचार करना उचित ठहरता है। बड़ी लाइनों के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह केवल बड़ी लाइन की ही होंगी। जहां पर छोटी लाइनें भी बिछाई जा रही हैं, वहां भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सभी पुलों, पुलियों और सुरंगों को बड़ी लाइन के स्तर का बनाया जा रहा है। विचार यही है कि इस बारे में भविष्य में किसी भी प्रकार की तबदीली करने की सम्भावना हो। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हसन-मंगलौर लाइन के सर्वेक्षण से उसके केवल मीटर गेज लाइन का औचित्य सिद्ध हुआ है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आता हूं। वह प्रश्न है विद्युतीकरण का। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि भाप के इंजिनों को डीजल और बिजली के इंजिनों में बदल दिया जाय। इस बात में तो सभी सहमत हैं कि भाप के इंजिन पुराने हो गये हैं। अतः इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। बिजली और डीजल दोनों ही तरह के इंजिन निर्माण कर लिये गये हैं। अमरीका ९८'७२ प्रतिशत इंजिन डीजल से चलते हैं। भारत में सभी गेजों की एक साथ स्थिति यह है, डीजल के इंजिन ७.९० प्रतिशत हैं और बिजली के ५.४१ प्रतिशत हैं। हम इस तरह के इंजिनों का निर्माण कर रहे हैं और इस दिशा में हमारी आवश्यकतायें क्या होंगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है।

[DEPUTY SPEAKER in the chair]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भाप के इंजिनों में तो हम प्रायः आत्म निर्भर हैं। हमने उसकी कीमत भी काफी कम कर ली है। एक भाप के इंजिन का मूल्य लगभग ४.५ लाख है। बिजली के इंजिन का मूल्य लगभग ११ लाख होता है। डीजल इंजिन के लिए तो इससे भी कूछ अधिक खर्च करना पड़ता है। इसमें एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि सस्ती बिजली की व्यवस्था कैसे हो। यदि हम चाहते हैं कि इंजनों का विद्युतीकरण हो तो हमें सस्ती बिजली की व्यवस्था करनी होगी।

छोटे गेजों को बड़े गेजों में बदलने के लिए हम जो कुछ भी करने में समर्थ हैं, कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक सीधा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। गुन्टुकल होस्पत लाइन बड़ी लाइन होगी और होस्पत-हुबली मरमागोआ मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल देने के लिए सर्वेक्षण हो रहा है। लौह खयस्क का निर्यात करने के लिए यह बहुत जरूरी चीज है। मेरा मतलब यह है कि ये सब बातें हमारे समक्ष हैं।

इसके अतिरिक्त नये जोन बनाने की बातें भी की गयी हैं। इसका निर्णय तो किसी क्षेत्र की चालन योग्यता अथवा क्षमता पर आधारित होता है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि रेलवे का कुशलता ब्यूरो विभिन्न जोनों के कार्य-भार का मूल्यांकन कर रहा है। इस मूल्यांकन से यदि यह परिणाम निकलता होगा कि किसी क्षेत्र विशेष को नये जोन के रूप में निर्माण कर देने का कोई औचित्य है तो अन्दर नया 'जोन' बना दिया जायेगा। यह भी मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विभिन्न जोनों में पुनर्गठन का कार्य भी चल रहा है। एक दो को छोड़ कर लगभग सभी ने विभागीय पद्धति को अपना लिया है। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है क्योंकि व्यय का प्रश्न भी होगा। ३००० नये कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और २ करोड़ रुपयों का व्यय प्रशासन पर होगा। अतः मामला गम्भीरता से विचार करने वाला है। और इसके सुधार करने के मामले में मैं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बना रहा हूं।

अब मैं उन बातों की ओर आ रहा हूं जिनका सम्बन्ध सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से है। गाड़ियों की धीमी गति के बारे में शिकायतें हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने का

पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। यह आशा है कि निकट भविष्य में डीलक्स गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी, क्योंकि वह अच्छी तरह से चल रही है। यह संख्या २ से ४ कर दी जायेगी। गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। नयी अन्य गाड़ियां भी चालू की जायेंगी। इस बात का भी पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि सोने वाले डिब्बों की संख्या भी बढ़ा दी जाये। इससे तीसरे दर्जे के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। कुछ जनता गाड़ियां भी चालू की जायेंगी। साथ ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि विभिन्न दर्जों के डिब्बों को अभी हाल समाप्त नहीं किया जा सकता। वातानुकूलित डिब्बों की काफी मांग है, इनकी संख्या भी बढ़ा दी जायेगी। यात्रियों को आकर्षित करने में इसका काफी भाग रहा है। तीसरे दर्जे में सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

चूंकि उसका कर्त्तव्य है कि वह बिना टिकट यात्रा करने वाले से जाकर किराया प्राप्त करे। हमें बिना टिकट यात्रा को एक सामाजिक बुराई मानना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए।

श्रम सम्बन्धों की चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने मांग की कि एक केन्द्र में एक स्थायी न्यायाधिकरण होना चाहिए जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते चूंकि उससे उस न्यायाधिकरण को कई एक मामलों के निर्दिष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि कोई समस्या सामने आये तो सदैव उसे एक तदर्थ समिति को निर्दिष्ट हम करते रहे हैं और उसके निर्णयों को हम स्वीकार भी करते रहे हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपना ध्येय एक ही मान कर रेलवे उपक्रम में कुशलता लायें।

महंगाई भत्ते में वेतन आयोग की सिफारिश थी कि यदि सूचकांक ११५ से १० प्वाईंट १२ मास तक बढ़े रहें तो भत्ता बढ़ाना वांछनीय है। नवम्बर १९६० से अक्तूबर, १९६१ तक सूचकांक १२५ तक रहा इसलिये भत्ता बढ़ाया गया। उसके पश्चात् अग्रेतर बढ़े हुए सूचकांक को १२ मास तक देखे बिना ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसलिये शिकायत की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस विषय में रेलवे कर्मचारी अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही हैं और उनको प्रत्येक वह रियायत दी जायेगी जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिले।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : बढ़ते हुए मूल्यों का निराकरण तभी हो सकता है जबकि रेलवे कर्मचारियों को वस्तु सम्बन्धी लाभ दिये जायें, जैसे सस्ते अनाज की दुकानें खोलना आदि।

श्री दासप्पा : माननीय सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिये गये और जिनमें से कई सुझावों पर उचित अध्ययन के पश्चात् ही हम विचार कर सकते हैं। मैं प्रत्येक सुझाव के बारे में माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा। यदि किसी सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाता तो उस पर उचित अध्ययन एवं विचार करने के पश्चात् ही उसे अस्वीकार किया जाता है।

कुछ सदस्यों ने रेलवे बोर्ड की कटु आलोचना करते हुए कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ काम करने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि वह अन्य अधिकारियों से भिन्न नहीं हैं। वह बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। संसद् सदस्यों के पत्रों का उत्तर इतने ध्यानपूर्वक किसी अन्य विभाग से नहीं दिया जाता जितने ध्यान से रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। यह बात मैं जोरदार शब्दों में कह सकता हूं कि रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। रेलवे के आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रत्येक सुधार किया जा रहा है, चाहे वह डिब्बे हों, चाहे विभिन्न प्रकार के इंजन, आदि।

अनुदानों की मांगें (रेलवे)

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में वर्ष १९६४-६५ के लिये आय व्ययक (रेलवे) से सम्बधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा।

समूचे आय व्ययक के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा २५ घंटे नियत किये गये थे जिनमें से ८ घंटे शेष हैं।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : अनुदानों की मांगों के लिये १० घंटे नियत किये गये थे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कार्य मंत्रणा समिति में यह बात साफ की गयी थी कि अनुदानों की मांगों के लिये १० घंटे नियत किये जाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न। कार्यमंत्रणा समिति की आज की बैठक से एक नोट प्राप्त हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि अनुदानों की मांगों के लिये १० घंटे नियत किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित नहीं था इसलिये मुझे मालूम नहीं है। हम चर्चा आरम्भ करते हैं और समय सम्बन्धी निर्णय अध्यक्ष महोदय पर ही छोड़ते हैं।

आज की बैठक के अन्त तक मांग संख्या १ पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह कर सकते हैं।

वर्ष १९६४-६५ के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुदान की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गयी :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	रेलवे बोर्ड	१,९५०,००० रुपये

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१	श्री रानेन सेन	रेलवे बोर्ड में भारी	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये।
१	२	श्री बड़े	सतकर्ता निदेशालय भंग कर देने की आवश्यकता	२,४०,००० रुपये

१	२	३	४	५
१	४	श्री दीनेन भट्टाचार्य	ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता, रेलवे फाटकों का निर्माण, शैड बनवाना, तेज गाड़ियां चालू करना, शंकरशरण न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करना इत्यादि।	१०० रुपये
१	६	श्री बड़े	भोपाल और रतलाम के बीच तेज गाड़ी की आवश्यकता	१०० रुपये
१	७	श्री शिव मूर्ति स्वामी	नये रेलवे लाइनों को चालू करने की असमर्थता, यातायात की अयोग्यता ।	१०० रुपये
१	८	Shri Kishen Pattnayak	Need to remove disparity obtaining among the scale of pay and Condition of Service need to review the regulations regarding without ticket travelling and concession, etc.	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१	९	श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	क्षेत्रों के संगठन में अनिश्चितता छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१	१०	श्री नरसिम्हा रेड्डी	तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधा देने में असफलता, समुचित भोजन व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
१	१२	Shri Kishen Pattnayak	Need to check mismanagement etc. in the Railways catering, need for adequate security arrangement in the trains, need to eradicate the corruption in Railway Department, need for providing better facilities to the third class passangers.	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५	१३	श्री हरि विष्णु कामत	बढ़ते हुए मूल्यों के अनुसार भत्ता देने की आवश्यकता हड़ताल में निकाले गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता पुस्तकों के स्टालों का एकाधिकार समाप्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष उपस्थित हैं ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व): मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । भोजन व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है । गत बार भी बजट सत्र में इस बात पर जोर दिया था परन्तु कुछ किया नहीं गया मेरा निवेदन है कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए और साथ ही भोजन वाले डिब्बे में काम करने वाले कर्मचारी रेलवे के नियमित कर्मचारी होने चाहिए ।

देश के पश्चिमी एवं उत्तरी भागों में रेलवे कर्मचारियों को शरद ऋतु में वर्दियां अवश्य ही दी जानी चाहिएं, चूंकि वहां सर्दी बहुत जोर की पड़ती है ।

सियालदा डिवीजन में देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक भीड़ रहती है । वहां विद्युतचालित गाड़ियां चलाई गई हैं, परन्तु भीड़ को देखते हुए उन गाड़ियों की संख्या बहुत कम है । मेरा अनुरोध है कि वहां गाड़ियों की संख्या तुरन्त बढ़ाई जाय ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कस्बा को बालीगंज से मिलाने वाला एक उपरिपुल बनाया जाना चाहिए । रेलवे फाटक पर जब रेल गाड़ी को गुजरना होता है तो यातायात काफी समय तक रुका रहता है जिसके कारण कई बार दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं । इस बारे में पिछले १$^1/_2$ वर्ष से विचार हो रहा है । परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया । मेरा अनुरोध है कि इस पुल को तुरन्त बनाया जाय ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : रेलवे विकासशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में सफल रही है परन्तु अभी बहुत सी कुशलता के लिये गुंजाइश है । स्टेशनों पर और डिब्बों में भी पाखानों की सफाई का उचित प्रबन्ध नहीं है । पहले दर्जे के डिब्बों की दशा बहुत क्षीण है । डिब्बों में लगाये गये पंखों की दशा भी खराब ही रहती है ।

तीसरे दर्जे के डिब्बों में सुविधायें तो उपलब्ध की गई हैं परन्तु अधिक भीड़ के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर बहुत बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं और कई बार इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है । यदि केन्द्रीय सरकार उन फाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं कर सकती तो इस प्रकार का स्वयंचालित सिगनल लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पहले से मालूम हो सके कि गाड़ी गुजरने वाली है ।

[डा० रानेन सेन]

जहां तक रेलवे फाटकों पर यातायात के रुक जाने का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर उपरि-पुल अथवा लाईन के नीचे के पुल बनाये जाने चाहिएं ताकि लोगों की कठिनाइयां कम हो सकें। गांवों में कई स्थानों पर दो-दो घंटे यातायात रुका रहता है। केन्द्रीय सरकार चाहती है कि स्थानीय निकाय ऐसे पुलों के निर्माण में आधी राशि लगाये। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इस कार्य के लिये स्थानीय निकायों से योगदान लिया ही जाना है तो वह २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आगरा-बाह लाइन, जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में थी, वर्ष १९३८ में तोड़ दी गई थी, शायद इस कारण कि वह जसवन्तनगर अथवा इटावा मुख्य लाइन से सम्बद्ध नहीं थी और वह अलाभकारी थी। जब वह लाइन मौजूद थी तब भी उसकी दशा बहुत खराब थी। यात्रियों पर बहुत अधिक धूल पड़ती थी। टिकटें गाड़ियों में ही दी जाती थीं जिसके कारण काफी पैसा स्टाफ के पास ही रह जाता था। सिगनल की व्यवस्था भी असन्तोषजनक थी। यात्री कुप्रबन्ध के कारण ही उस लाइन से आय बहुत कम थी। लाइन के तोड़ दिये जाने के कारण वहां के लोगों को यात्रा सुविधा से वंचित कर दिया गया और दूसरे वह क्षेत्र बदनाम भी हो गया। जब कभी उस लाइन को फिर से बनाने की बात उठाई गई तो यह कहा गया कि वह अलाभकारी है। परन्तु किसी ने भी वास्तविक कारणों की जांच करने का प्रयत्न नहीं किया। वहां पर लाइन बनाना आर्थिक विकास की दृष्टि से और भी आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न। चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है इसलिये मेरा अनुरोध है कि गणपूर्ति की घंटी बजाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है।

Shri Bade (Khargone) : So far as Railways are concerned, Madhya Pradesh and Rajasthan are neglected States.

The distance between Fatehpur and Churu, Rajasthan, is only 43 Kilometres whereas the fare is charged for 86 Kilometres. The reason given for this excess charge is that the Railways there is running at a loss. People of that area have raised voice regarding this excess charge a number of times. They have even resorted to Satyagaraha. But their efforts have been of no avail. I request that this anomaly may be removed.

The train running between Indore and Bhopal, a distance of about 96 miles, takes 12 hours to cover this distance. The bus on the other hand covers this distance in only 4 hours. Therefore, the train must move fast, so that the difficulties of the passengers may be mitigated.

There is no Railway line between Khandwa and Dohad in Madhya Pradesh. In fact the whole of Madhya Pradesh is a neglected State. My own constituency is a tribal area. Most of my state is full of tribal population. Repeated times requests have been made, but every time some or the other excuse is put forth. I urge upon the Government to construct a line between Khandwa and Dohad.

Recently a contract was given for doubling the Krari-Datia and Sonagiri line. When tenders were called for that work, the lowest tender was that of Rs. 5 lakhs. But instead of accepting the lowest tender, the one which was accepted was of Rs. 6 lakhs. Government should see as to why the lowest tender was not accepted. I being myself a Member of the P.A.C., know how

corruption is rampant in C.P.W.D. and among contractors. Government should keep a strict watch over them.

General representations have been sent to the Railway department regarding the benefits of pensions. The employees who retired on 1-4-57 should be given pensionary benefits.

Railway Guards are also discriminated against. A, B and C, in all these categories, Guards are paid much less than engine drivers, whereas both have to be with the train for equal number of hours. This kind of discrimination should not be allowed to remain.

A number of posts of signallers have been lying vacant which should be filled, and the Shankar Saran Award should be given effect to, so far as this category of employees is concerned.

Food and tea supplied by the catering department is not worth taking. Both the quality and the quantity are poor. In spite of charging full amount the department has failed to satisfy the passengers. I have personally met an employee of this Department who has told me that corruption is as rampant there as in C.P.W.D. Government should see that the catering Department supplies food and tea to the satisfaction of the passengers.

A fast train has been introduced between Ajmer and Indore, but it does not stop at Jawat, which is a Tehsil Headquarter. I have moved cut motions and even otherwise brought this matter to the notice of authorities, but no action has so far been taken. There should also be a provision for platform and shed at Jawat.

In the end, I again urge upon the Government to pay particular attention to Madhya Pradesh, and construct more lines there.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी) : मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि आंध्र प्रदेश की उपेक्षा की गई है। तीसरी योजना की कालावधि में आप १४७ करोड़ रुपये व्यय करके १२०० मील नई लाइनें बनवायेंगे परन्तु दक्षिणी क्षेत्रों में केवल मंगलौर-हसन, मंगलौर-सलेम और मनामदुरै-विरुद्धनगर लाइन बनाई जायेंगी । और आंध्र में कोई लाईन नहीं बनायी जायगा ।

हम कई बार मांग कर चुके हैं कि दक्षिण में एक नया रेलवे खंड बना दिया जाय । यह मांग प्रशासनिक सुविधा और जनता के हित की दृष्टि से रखी जाती रही है । मेरा अनुरोध है कि इस मांग को मंजूर किया जाय ।

हमारी राज्य सरकार द्वारा उद्योग, व्यापार एवं कृषि की आवश्यकताओं की दष्टि से कुछ एक नई लाइनों के निर्माण सम्बन्धी सुझाव केन्द्र को दिये हैं, परन्तु मालूम हुआ है कि उन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया । मेरा अनरोध है कि राज्य सरकार के सुझावों की ओर ध्यान दिया जाय और चौथी योजना में उन लाइनों को बनाया जाय ।

समूची जोनल प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में समय लगेगा अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र एक नया रेलवे जोन स्थापित किया जाये ताकि लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके । अडोनी में प्रस्तावित ऊपरिपुल का निर्माण शीघ्र ही किया जाना चाहिये क्योंकि वहां पर यातायात बहुत है । नगरपालिका रेलवे लाइन को मिलाने वाली सड़कें बनाने के लिये तैयार है । विजयवाडा-

[श्री पें० वकटसुब्बया]

वालटेयर, हैदराबाद-वारंगल और हैदराबाद-कुरनूल रेलवे सैक्शनों का यथाशीघ्र विद्युतीकरण किया जाना चाहिये। राज्य सरकार ने इन तीनों प्रस्तावों को केन्द्र के पास भेजा है।

हैदराबाद-बंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये। मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश दोनों राज्यों को इस लाइन से लाभ पहुंचेगा। उद्योग तथा वाणिज्य और यात्री यातायात के हित में बड़ी लाइन में बदलने के लिये रेलवे बोर्ड को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक रेलवे में भोजन व्यवस्था का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि रेलवे विभाग को शनैः शनैः इसे निजी ठेकेदारों से अपने हाथ में ले लेना चाहिये। विभागीय भोजन व्यवस्था निजी ठेकेदारों की तुलना में अधिक सन्तोषजनक है।

हैदराबाद-बंगलौर लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में जो डिब्बे लगाये जाते हैं व बहुत पुराने हैं। इस कारण यात्रियों को सुविधा नहीं मिलती। अतः रेलवे प्रशासन को उनके स्थान पर नये डिब्बों की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैंने इस मांग पर जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें दो महत्वपूर्ण बातों की ओर निर्देश किया गया है। एक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में है और दूसरी जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने के फलस्वरूप दंडित कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

सरकार ने मंहगाई भत्ते में २, ५ तथा १० रु० की जो वृद्धि की है वह पर्याप्त नहीं है। यह निर्वाह व्यय में हुई बढ़ोत्तरी के बराबर नहीं है। गत जनवरी तक के पिछले १२ महीनों में उपभोक्ता मूल्य देशनांक औसतन १० अंक अधिक बना रहा है। अतः द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भी सरकार को सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में एक और वृद्धि कर देनी चाहिये। सरकार को स्वतः ही मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर देनी चाहिये तथा कर्मचारियों के आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये मंजूरी में पर्याप्त वृद्धि न किये जाने के कारण देश में असंतोष फैला हुआ है। महाराष्ट्र राज्य ने पहले से ही उपभोक्ता मूल्य देशनांक के पुनरीक्षण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। अन्य २६ प्रमुख शहरों में भी इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि १९४७ मे निर्धारित किये गये वेतन-क्रमों में मूल्यों में हुई वृद्धि के समान बढ़ोत्तरी की जा सके। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जुलाई, १९६० की हड़ताल में रेलवे प्रशासन ने बहुत से व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया था। सरकार ने दोषी ठहराये गये कर्मचारियों के प्रति नरम रवैया अपनाया था जिसके कारण सरकार के अन्य सभी विभागों ने अधिकांश व्यक्तियों को पुनः काम पर रख लिया था परन्तु रेलवे विभाग द्वारा इस बारे मे कोई उदारता नहीं दिखाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी अधिकांश नियमों को अवैध ठहराया है। जबकि विभागों ने न्यायालय के निर्णयों पर अमल किया है रेलवे विभाग इनकी उपेक्षा करता रहा है। रेलवे के इस कड़े रवैये के कारण अन्य कर्मचारियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

रेलवे विभाग में रेलवे कर्मचारियों के मामले रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल को निर्दिष्ट करने की व्यवस्था है। परन्तु बहुत कम मामलों में ऐसा किया जाता है ट्रिब्युनल निष्पक्ष रूप से उन पर अपने सुझाव देता है। अतः रेलवे प्रशासन को इन न्यायाधिकरणों के सुझावों को स्वीकार करना चाहिये तथा उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। ऐसा न करने से श्रमिक सम्बंधों के खराब हो जाने की आशंका है। रेलवे न्यायाधिकरणों तथा उनके पंचाटों के बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। रेलवे बोर्ड की सेवा से निकाले गये सभी व्यक्तियों को स्वाभाविक

न्याय के आधार पर, जैसा कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, और उच्च अधिकार प्राप्त न्यायाधिकरण के सुझावों के आधार पर पुनः सेवा में ले लेना चाहिये ।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : बोंगे गांव से गोहाटी तक ग्वालपाड़ा से होती हुई, गारो पहाड़ियों को मिलाती हुई एक रेलवे लाइन बनाने का सुझाव दिया गया है। आसाम का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है और गारो पहाड़ियों में सीमेंट तथा कोयला बहुत मात्रा में उपलब्ध है। अतः इस लाइन का बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और पुल बना कर जोगीघोपा से पंचरत्न तक एक लाइन बनाई जाये और यह पुल सड़क एवं रेलवे पुल होना चाहिये।

रेलवे मंत्री इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि सिलीगुडी से जोगीघोपा तक एक बड़ी लाइन बनाने का कार्य हाथ में ले लिया गया है। मेरा सुझाव है कि जोगीघोपा तथा पाण्डू बन्दरगाहों का निर्माण कार्य बिना विलम्ब प्रारम्भ किया जाये। रंगपाड़ा उत्तर लखीमपुर लाइन को मोरकेक सेलेक तक बढ़ाया जा रहा है। इसलिये तेजपुर, रंगपाड़ा तथा उत्तर लखीमपुर के बीच शयन-कार सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिये। धुबरी तथा कोकराझार के बीच चलने वाली शटल गाड़ी की सेवा बोंगे गांव तक बढ़ाई जाये। मरनहाट से डिब्रूगढ़ तक एक लाइन बनाई जाये। तूफान मेल से आसाम जाते समय हमें असुविधा होती है क्योंकि उस गाड़ी में भोजनकार की व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

सामरिक दृष्टि से हिमालय की निचली पहाड़ियों के साथ साथ जंगद्वार से डारंगा तक एक सहायक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। मैं यह सुझाव पाकिस्तान के विरोधी रवैये को ध्यान में रखते हुये दे रहा हूं क्योंकि वर्तमान रेलवे लाइन पाकिस्तान की सीमा के निकट है ।

रेलवे के १२$^{१}/_{२}$ लाख कर्मचारियों में केवल १३ प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति और २.५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जाति के हैं। यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः इन जातियों के व्यक्तियों को रेलवे सेवा से अधिक स्थान दिये जाने चाहियें। यह कहा जाता है कि इन जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं परन्तु ऐसे अनेक बी० ए० पास व्यक्तियों ने मुझ से यह/शिकायत की है कि उन्हें रेलवे की नौकरी के योग्य नहीं समझा जाता है। अतः माननीय रेलवे मंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

Shri Achal Singh (Agra) : Repair work on the old railway bridge in Agra should be t ken in hand immediately to facilitate movement of trains. Jagner Railway level crossing gate near Agra Cantt. remains closed for most of the time resulting in hardship to vehicular traffic. The vehicle drivers even blocked the railway track at the level-crossing two or three months back to give vent to their feelings in this regard. The Railway Board should, therefore, take up the work of construction of an over bridge there without any further delay.

The train service between Agra Fort and Biana should be extended upto Ganganagar Station. Thousands of people go to Mahavirji daily to attend Mahavirji Fair and they have to change the train for Mahavirji at Biana at night resulting in great hardship to them. Therefore, this longstanding demand of ours should be conceded to by the hon. Railway Minister. The old 3rd class coaches attached to the Agra-Jhansi passenger train should be replaced by new ones. The 1st class coaches attached to the meter-guage train running between Agra and Ahmedabad also need replacement.

Catering on Railways should be entrusted to private contractors. Departmental catering has not yielded good results. It is costlier and the railways are incurring loss on this account. If it is entrusted to private contractors, the meal served by them would be cheap and wholesome, because they will be under constant fear of their contract being terminated at any time. It would also help provide employment to many people. I would, therefore, request the hon. Railway Minister to go into this matter and entrust the work of catering to private contractors.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : वर्तमान बरहान-एटा लाइन से जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। यह लाइन बड़े लम्बे रास्ते से जलेसर तथा एटा तक ले जाई गई है। रेलगाड़ी लगभग पांच घंटे में बरहान से एटा पहुंचती है जबकि बस वही दूरी $2\frac{1}{2}$ घंटे मे तय कर लेती है। अतः कोई भी यात्री रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करना चाहता और रेलवे स्टेशनों के नगरों से दूर होने के कारण माल यातायात का भी इस लाइन पर अभाव रहा है। जब तक इस लाइन को कासगंज अथवा कायमगंज जैसे अन्य केन्द्रों से नहीं मिलाया जाता तब तक इसके बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे आशा है कि रेलवे मंत्रालय इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगा।

जहां तक संभव हो सके, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके घरों से दूर के स्थानों पर काम पर नहीं लगाना चाहिये।

रेलवे को अपना एक कृषि विभाग बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। रेलवे लाइनों के दोनों ओर बेकार पड़ी रेलवे भूमि को कृषि उपज करने तथा चारे की फसल उगाने के काम में लाया जा सकता है। रेलवे मंत्रालय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : I wish to make some suggestions while speaking on demand No. 1. A major part of the rail earnings comes from third class passengers. In spite of this, nothing has been done to ease over crowding in the third class compartments. I would request the Railway Minister to provide more amenities to the third class passengers.

The Latur-Miraj narrow-gauge line should be converted into a broad-gauge line as this line passes through Marathwada which is a backward area. The work of constructing a railway line between Kurduwadi and Ramgundam should be resumed without delay. A broad gauge line should also be constructed between Kurduwadi and Miraj. Manmad-Kanchiguda meter-gauge line should be converted into a broad gauge line.

I do not understand why the construction of the Nanded Station is being delayed when the estimates have been prepared. Level crossings should be provided on both the eastern and western sides of the Nanded Railway Station. The hon. Railway Minister referred to the creation of new zones on the railways in his budget speech. In that connection my submission is this that the area between Wadi and Daud may be included in the Bombay Division. The railways should take adequate steps to see that accidents do not take place on the railway level crossings. To prevent ticketless travel the railways should keep a constant watch on their ticket checking staff, because the people indulge in ticketless travel with the active connivance of the ticket checking and other staff.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The condition of the coaches not only of the third class, but even of first class is not good. I am not worried about the retention or non-retention of third class. What I want to emphasise is this that the passengers should be provided with amenities in proportion to what they pay to the railways. From my personal experience, I can say that the condition of the 1st Class Coaches attached to metre-gauge trains and particularly on the Western Railway section is extremely bad. The coaches are

2397(Ai)LSD—6

[Shri Kashi Ram Gupta]

old fashioned and obsolete. The trains running between Rewari and Delhi on the Northern Railway are not cleaned properly, and the seats have many stitches on them.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय उपमंत्री को हिन्दी समझ मे आ रही है ?

श्री काशी राम गुप्त : मैं इस कठिनाई को दूर करने के लिये अंग्रेजी में बोलूंगा।

उनमे पंखों और पाखानों की मरम्मत नहीं होती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

रेलवे के विभिन्न जोन बनने से उनके अन्दर आपस में भेदभाव सा पैदा हो गया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई गाड़ी दो जोनों में से होकर जाती है और किसी पंखे के खराब होने के बारे मे शिकायत की जाती है तो उत्तर यह मिलता है कि उत्तर रेलवे इसकी मरम्मत नहीं कर सकती क्योंकि यह पश्चिम रेलवे की सम्पत्ति है। अतः इसकी अहमदाबाद में ही मरम्मत हो सकेगी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहियें।

दूसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने की व्यवस्था नहीं है और फिर भी उनमें यात्रा करने वालों को दुगना किराया देना पड़ता है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

तीसरी श्रेणी मे भीड़भाड़ रहती है। इसको कम करने के लिये रिवाड़ी से अलवर तक एक गाड़ी चलाई जाये।

जहां तक बिना टिकट यात्रा करने का सम्बंध है, पश्चिम रेलवे के टिकट चैकरों को एक मासिक लक्ष्य, जैस ५०० अथवा ६०० रुपए पूरा करने के लिये कहा गया है। इसने एक निहित स्वार्थ का रूप धारण कर लिया है और इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। अतः यह उचित नहीं है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच सम्बंध मैत्रीपूर्ण नहीं है। सहायक स्टेशन मास्टरों, स्टेशन मास्टरों, गार्डों और टिकट चैकरों की दशा भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अच्छी नहीं है। सरकार की इन सब बातों को ओर ध्यान देना चाहिये।

भ्रष्टाचार ने काफी व्यापक रूप धारण कर लिया है। इसके उन्मूलन के लिये कदम उठाये जाने चाहियें और इस उद्देश्य के लिये एक आयोग की भी नियुक्ति की जानी चाहिये।

अलवर से भरतपुर तक बड़ी लाइन बनाने के सम्बंध में नये सिरे से सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। २०३ अप तथा २०४ डाउन गाड़िया रिवाड़ी स्टेशन पर भोजनालयों से बहुत दूर खड़ी होती है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है अतः इस दिशा में भी कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

Shri Veerappa (Bidar) : Public sheds and latrines should be provided at Bidar Station. The trains that run between Hyderabad and Parli *via* Bidar do not have provision of lighting and water. The situation should be remedied without any further delay. The coaches also are out-dated and out-moded and need immediate replacement.

A new line should have been constructed between Hyderabad and Sholapur *via* Humnabad but that has not been done I urge the Central Government to fix the quota for every State. Government do not stand to lose anything by this.

Construction of a broad-gauge line from either Secunderabad or Guntakal to Bangalore should be taken in hand without any delay.

It takes three days to reach Bangalore from Bidar. We have been requesting the Government to make any such arrangement so that we may reach Bangalore in 12 hours. I request the government to construct a line from Zaheerabad to Sholapur and another line from Sholapur to Bidar to solve this tangle. Public shed and lighting arrangements should be provided at Zaheerabad Station so that no inconvenience is caused to the public there.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : कादी बेचरजी-चनास्मा, पाटन-काकोशी आदि सेक्शनों के बीच. इस सुपरसौनिक युग में भी गाड़ियां इतनी धीमी गति से चलती हैं कि उन्हें ४० किलोमीटर की दूरी तय करने में ढाई घंटे का समय लग जाता है। इससे रेल से यात्रा करने वालों का समय व्यर्थ नष्ट होता है तथा उन्हें असुविधायें उठानी पड़ती हैं। रेलगाड़ियों के कम तेज चलने के कारणों के बारे में बताया जाता है कि दुर्घटनाओं आदि को रोकने की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। लाइनों की दशा में सुधार करना गाड़ियां तीव्र गति से चलाई जानी चाहियें ।

कांडला पत्तन का विकास करने के लिये रेलवे बोर्ड को झुंड-कांडला रेलवे लाइन का कार्य यथाशीघ्र चालू कर देना चाहिये ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर ए० च० व्हीलर फर्म का बुक स्टालों का एकाधिपत्य है। इन प्लेटफार्मों पर कुल ४३४ बुक स्टालों में से ३३० स्टाल अकेले इस फर्म के हैं। बाकी स्टालों में जो पुस्तकें आदि बेची जाती हैं उनमें कम कमीशन मिलता है। इस एकाधिपत्य को समाप्त किया जाना चाहिये। यह तरीका लोकतंत्रीय समाजवाद क बिल्कुल प्रतिकूल है। इन बुकस्टालों को एकाधिकारियों के हाथों से लेकर निर्धन लोगों को देना चाहिये जिससे एक व्यक्ति के स्थान पर कई सौ व्यक्तियों को जीवन निर्वाह का साधन मिल सकेगा ।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए
SHRI THIRMALA RAO *in the Chair*]

कालोल के पास रेलवे लाइन पर सड़क यातायात के लिये एक पुल बनाया जाना चाहिये क्योंकि इस सड़क पर बड़ी भीड़भाड़ रहती है ।

बड़े रेलवे स्टेशनों के साथ साथ छोटे स्टेशनों का विकास किया जाना चाहिये। धूप और वर्षा से बचने के लिये रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के शेडों का निर्माण किया जाना चाहिये।

रेलवे लाइनों के गैजों में एकरूपता होनी चाहिये। राज्यों की राजधानियों को केन्द्र से बड़ी लाइनों द्वारा मिलाया जाना चाहिये। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक और रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिये जिससे भीड़भाड़ तथा माल परिवहन समस्या हल हो सकेगी।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर): मेरा कटौती प्रस्ताव विशेष रूप से जोनों के पुनर्गठन के संबंध में संदिग्धता बाक छल और अनिश्चितता तथा छोटी लाइनों को विस्तृत स्तर पर बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता के बारे में है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि रेलवे मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि आयोजन के दृष्टिकोण से आगे दस वर्षों में होने वाली मांग को पूरा करने के लिये वह जोनों के पुनर्गठन पर विचार करेंगे और यह पुनर्गठन विशेष रूप से संचालन कुशलता पर आधारित होगा। उन्होंने इस पुनर्गठन पर व्यय होने वाली विशाल राशि की भी चर्चा की है। माननीय मंत्री को यह बताना चाहिये कि जोनों के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुमान लगाने का कार्य किस

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी]

अभिकरण को सौंपा जायेगा। मंत्री जी को यह कार्य अपनी देख रेख में करना चाहिये अन्यथा इसमें सफलता प्राप्त होना कठिन है ।

यह खेद की बात है कि नई रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में राजस्थान की उपेक्षा की गई है। रजवाड़ों के समय के बाद वहां पर बहुत कम नई लाइनें बिछाई गई हैं। रेलवे के विस्तार के क्षेत्र में मंत्रालय को नीति अदूरदर्शितापूर्ण निरोधात्मक तथा कम प्रेरणादायक रही है। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय भी यातायात के आधार पर किया जाता है। सरकार यह बात भूल जाती है कि यातायात तथा परिवहन संबंधी सुविधायें उपलब्ध होने पर स्वयं यातायात बढ़ जायेगा। परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के न होने के कारण पश्चिम राजस्थान क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। मंत्रालय इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा दूरदर्शिता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

रेलवे प्रशासन को पश्चिम राजस्थान में रेलवे के विस्तार के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर नये सिरे से विचार करना चाहिये । यह दुख की बात है विस्तार-कार्य प्राय: राजनैतिक दबाव से किये जाते हैं । विस्तार से सम्बन्धित अनेक अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां दबाव डालने वाला कोई नहीं होता है । राजस्थान, आसाम आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जानी चाहिये ।

रेलवे मंत्रालय को राज्य सरकारों की पहल पर नहीं अपितु क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों की आवश्यकता को देख कर कार्य करना चाहिये । उस प्रक्रिया में संशोधन किया जाना चाहिये जिस में राज्य सरकारों की पहल पर कार्य होता है और उस पहल पर जोर दिया जाता है, क्योंकि अन्ततोगत्वा रेलवे प्रशासन मूल रूप से संसद् के सामने उत्तरदायी है ।

श्री दासप्पा : हम किसी राजनैतिक दबाव या राज्य सरकारों की पहल पर काम नहीं करते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह प्रसन्नता की बात है। किन्तु पिछले वर्षों में राज्य सरकारों के दबाव से ही कार्य हुआ है । इस से प्रजातंत्र को आघात पहुंचा है क्योंकि राज्यों में प्रादेशिकता की भावना रहती है । वे सारे देश के हित का ध्यान नहीं रखते हैं ।

श्री दासप्पा : हम प्रजातन्त्र में कार्य कर रहे हैं । जहां तक राज्य सरकारों की सिफारिशें उचित होती हैं, हम उन पर विचार करते हैं । किन्तु हम किसी राजनैतिक दबाव में कार्य नहीं करते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : रेलवे प्रशासन को अनुसंधान कार्यक्रम व्यापक रूप से करना चाहिए । सवारी डिब्बों को धूलरहित बनाया जाये । यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री जी ने कहा है कि रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

दूसरी श्रेणी के डिब्बों में स्थान आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये । डीलक्स गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । बढ़ते मूल्यों को कम करने के लिये रेलवे प्रशासन को अपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख कर सस्ते मूल्य की खाद्यान्न की दुकानें खोलनी चाहियें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : देश के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल राज्य में रेलवे व्यवस्था ढीली पड़ गई है । विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत से सीमावर्ती जिलों के कुछ भाग

पूर्वी पाकिस्तान में चले गये हैं और कुछ पश्चिम बंगाल में रह गये हैं जिस से रेलवे व्यवस्था में कठिनाई हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि मालदा को मिलाने वाली रेलवे लाइन को बेलूरघाट तक मिलाया जाये ताकि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में सभी जिला मुख्य कार्यालियों तक रेलवे लाइन बनाई जा सके। सरकार को विशेष रूप से पूर्वी भारत-पाक सीमा क्षेत्रों की महत्ता देखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कलकत्ता में काम करने वाले व्यक्तियों को जो कलकत्ता से लगभग ४० मील दूर उपनगरों में रहते हैं रोज रेलगाड़ी द्वारा काम पर आना पड़ता है। इन उपनगरों में चलने वाली रेलगाड़ियों में बहुत भीड़भाड़ रहती है। कई भागों में तो अभी बिजली से चलने वाली रेलों की भी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। गाड़ियां बहुत कम गति से चलती हैं। इस प्रकार उपनगरों में रहने वाले कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को, इन दूर दूर उपनगरों में रहने वाले लोगों को सुविधायें देने के लिए, तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए और बिजली से चलने वाली गाड़ियों का कार्य शीघ्र पूरा करना चाहिये।

दम दम जंक्शन तथा अन्य कई रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुलों की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस से यात्रियों को रेलवे लाइनों को लांघ कर जाना पड़ता है। इस प्रकार लोगों को असुविधा रहती है। सरकार को यात्रियों की कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर दमदम जंक्शन तथा दमदम छावनी पर ऊपरी पुल बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

शरणार्थियों के बसने से गत १० वर्षों में नये बैरकपुर स्टेशन का काफी विस्तार हुआ है और यह एक बहुत बड़ी बस्ती बन गई है। वहां पर काफी यातायात रहता है। इसलिए वहां पर कम से कम एक रेलवे फाटक की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। जिस से वहां पर रेलवे समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

श्यामनगर और कांकीनारा स्टेशनों के बीच कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां गाड़ी रुकती हों। गत वर्षों में इन स्टेशनों के बीच के कई क्षेत्रों में काफी विकास कार्य हुआ है और वहां कई वस्तुएं वाणिज्यिक स्तर पर उत्पन्न की जाती हैं। इन वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से मंडलपाड़ा पर हाल्ट स्टेशन बनाया जाये। बैरकपुर जाने वाली लाइन पर बारानगर में रेलवे का हाल्ट स्टेशन होना चाहिये क्योंकि इस नगर का काफी विकास हो रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्या का समय पूरा हो चुका है इसलिये उन्हें अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे केवल एक दो बातें और कहनी हैं।

यह दुख की बात है कि मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। विशेष कर गेहूं जैसे खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं। सरकार को मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। रेलवे प्रशासन को अपने कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देते के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव समाप्त करने के लिए सरकार को १५० रुपये से कम मासिक वेतन वालों को पर्याप्त महंगाई भत्ता देना चाहिये। दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को, जिन का वेतन ५०० रुपये तक है, महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

रेलवे विद्युतीकरण के कर्मचारियों पर जो तीन साल से लगातार काम करते आ रहे हैं केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहियें तथा उन्हें स्थायी रूप से कार्य पर रख लेना चाहिये। नैमित्तिक श्रमिकों को भी तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे स्थायी किया जाना चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ रेलवे के पास देने के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

श्री व० बा० गांधी : (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : सभापति महोदय, व्यापार सम्बन्धी देश के मुख्य समाचारपत्रों की आम धारणा यह है कि इस वर्ष के लिये रेलवे आय-व्ययक तैयार करते समय रेलवे प्रशासन ने 'रेलवे फ्रेंट स्ट्रक्चर इन्क्वायरी कमेटी' की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया है और मालभाड़े में यह २ प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जानी चाहिये थी ।

रेलवे उपमंत्री तथा रेलवे मंत्री जी ने अपने भाषणों में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि यह वृद्धि उचित है । किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं । आयोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिये । इस माल भाड़े में वृद्धि का प्रभाव चीजों की उत्पादन लागत पर पड़ना अनिवार्य है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मालभाड़ा दर में इस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है । प्रतिवर्ष इस प्रकार की लगातार वृद्धि से देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं । सरकार को यह वृद्धि समाप्त कर देनी चाहिये ।

हम यह देखते आये हैं कि प्रतिवर्ष आयव्ययक में राजस्व और व्यय के सही अनुमान नहीं लगाये जाते हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा आयव्ययक में दिये गये प्राक्कलनों के आंकड़े वैज्ञानिक ढंग से तैयार किये जाने चाहियें ।

Shri Pratap Singh (Sirmur) : Mr. Deputy Speaker, I have come from the area where Railway have not yet entered. More attention should be paid towards such areas which are backward in respect of transport facilities. I hope that construction of Jamunanagar—Ponta line would be given top priority. Industries are flourishing in Ponta and Gypsum and lime stone found in that area is perhaps better in quality there found anywhere else in India. The construction of Chandigarh-Baroti line having a length of 6 miles in all is a much felt necessity in Himachal Pradesh. Another line from Ganguwal to Basi, two miles long, if constructed would facilitate the transhipment of timber from Himachal Pradesh. High power locomotives should be used on Kalka-Simla section to shorten the unusual time taken by the train to complete this journey owing to which much of the tourist traffic is at present being diverted towards Mussorie.

Survey for extending Kalka-Simla line should be conducted and atl east the line should be extended upto Thiog which has a distance of 18 miles from Simla.

The extension of Railway facilities in Himachal Pradesh is also important from strategic point of view as it is a border area having hilly terrains. In addition industries are being developed in Himachal Pradess and as such a good transport system. For carrying the heavy machinery to the places where industries are being set up and for the movement of the goods produced is the basic necessity.

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री जी अपने नये पद पर एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुए हैं । उन्होंने रेलवे में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है । किन्तु फिर भी हमें रेलवे में कुछ कमियों के बारे में उन्हें अवगत कराते रहना चाहिये जिस से वे सदा सतर्क बने रहें ।

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ की समस्या निरन्तर गम्भीर होती जा रही है । इस समस्या को सुलझाने के लिये कई बार सरकार से अनुरोध किया गया किन्तु कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल पाया है । सरकार को इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से कार्यवाही करनी चाहिये । रेलवे मंत्रालय को इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए उच्च रेलवे अधिकारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के संसद्-सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनानी चाहिये । इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये । इस के साथ साथ अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के बीच अधिक से अधिक संख्या में रेलवे शटल चलाये जाने से कुछ सीमा तक समस्या हल हो सकती है ।

रेल द्वारा यात्रा करने वालों का अधिकांश भाग तृतीय श्रेणी में यात्रा करता है । इसलिये विशेष रूप से तृतीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये । रेल के डिब्बों तथा स्टेशनों पर जल तथा शौचालयों आदि की स्वच्छता के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

रेल गाड़ियों में यात्रा करने वालों के लिये भोजन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए । ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी में भोजन वाला डिब्बा मद्रास से सीधा दिल्ली तक लगना चाहिये । यात्रियों को यथासमय भोजन दिया जाना चाहिये । भोजन देने वाले कर्मचारियों को ग्राहकों के आदेश के अनुसार भोजन देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्बरामन ।

श्री सुब्बरायन (मदुरै) : मैं इस आय-व्ययक का स्वागत करता हूं । यदि हम अपने देश की रेलवे की तुलना अपने पड़ौसी देशों से करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, परन्तु जब हम अमरीका और इंग्लैंड की स्थिति देखते हैं तो महसूस होता है कि अभी काफी सुधार की गुंजाइश है ।

इस में सन्देह नहीं कि काफी गाड़ियां अब समय पर आती जाती हैं परन्तु दक्षिणी क्षेत्र की सब से तेज़ गाड़ी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस अब भी अधिकतर देर से चलती है । अतः इस की ओर ध्यान दिया जाय । इस के अतिरिक्त, माल गाड़ियों की रफ्तार तेज़ की जानी चाहिए तभी वह सड़क परिवहन का मुकाबला कर सकती हैं । मदुरै और तूतीकोरिन जैसे वाणिज्यिक केन्द्रों से लम्बे सफर के लिये माल के बुकिंग के लिये क्यू० टी० एस० की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिये ।

रेलवे डिब्बों और डिब्बों में पाखानों की स्थिति में सुधार करना चाहिये । सफाई वगैरह का प्रबन्ध भी उचित होना चाहिये । ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि डिब्बों में शोर कम हो और धूल कम आये ।

प्लेटफार्मों पर जो प्रतीक्षक गृह और शौचालय आदि हैं उन की हालत भी दयनीय है । रेलवे विभाग को लोगों को भी सफाई सम्बन्धी शिक्षा देनी चाहिये ।

यात्रियों के लिये सब से बड़ी सुविधा यह होगी कि तीसरे दर्जे में भीड़ कम करने का प्रबन्ध किया जाय ।

रामेश्वरम एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है । वहां तक जाने और आने के लिये अधिक और तेज चलने वाली गाड़ियां उपलब्ध की जानी चाहियें ? धनुष्कोडी स्टेशन पर प्रतीक्षक गृह आदि की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये ।

मदुरै नगर में दो स्थानों पर रेलवे फाटक हैं जहां से गुजरने के लिये वहां क जनता और यातायात को कठिनाई होती है । वहां पर उपरि अथवा नीचे के पुल बनाये जाने चाहियें । इस बारे में कई बार अभ्यावेदन भी किये गये हैं । यदि पुलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो कम-से-कम इतना अवश्य किया जाय कि वह फाटक अधिक समय के लिये बन्द न हों ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : रेलवे में प्रत्येक दशा में सुधार हुआ है परन्तु कुछ ब्रांच लाईनों की उपेक्षा की गयी है । मीटर गेज और ब्रांच लाइनों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

गाड़ियों में भीड़ की समस्या न हल हो सकने का कारण यह है कि भारत में जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । विशेष कर उत्तर बिहार में गाड़ियों में अधिक भीड़ रहती है । परन्तु वहां भीड़ रहने का कारण यह भी है कि वहां गाड़ियां कम चलाई जाती हैं । अतः उस क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिए ।

समस्तीपुर-नरकटियागंज लाईन पर लहरिया सराय स्टेशन को फिर से बनाने की गति बहुत धीमी है । इस कार्य के मार्ग में जो भी बाधा है उसे शीघ्र दूर किया जाय । इस के अतिरिक्त, वहां के लोगों की कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से वहां एक अन्य रेलवे फाटक बनाया जाय । जो फाटक पहले था वह किसी कारण बन्द कर दिया गया है ।

उत्तर बिहार में राजेन्द्र पुल बनने से वाणिज्य एवं व्यापार को लाभ होगा परन्तु पुल बन जाने पर भी यात्रा को कठिनाई उसी तरह बनी हुई है । बरौनी से दरभंगा जाने वाली गाड़ियों को अधिक टेज़ चलना चाहिए ।

समस्तीपुर, टुडला आदि जो स्टेशन ब्रांच लाईनों पर स्थित है उन पर खाद्य-व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है । विभाग की ओर से पूरा सामान भी नहीं जुटाया जाता । इस ओर भी ध्यान दिया जाय । इस के अतिरिक्त, इन स्टेशनों पर सफाई का उचित प्रबन्ध, होना चाहिए ।

बरौनी से समस्तीपुर तक जो बड़ी लाइन बनाई गई उसे दरभंगा तक ले जाना चाहिए था चूंकि वहां एक सीमान्त स्थान है और नेपाल के साथ लगता है ।

सकरी से हसनपुर तक लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण आदि कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि इस लाईन को बनाया जाय । इस इलाके में स्टेशन तक पहुंचने के लिए लोगों को १५-२० मील तक चलना पड़ता है ।

समस्तीपुर और दरभंगा के बीच या तो बड़ी लाईन होनी चाहिये या दोहरी लाइन होनी चाहिये ।

लोहना रोड फ्लैग स्टेशन को अब फ्लैग स्टेशन ही नहीं बने रहना चाहिये । वहां पर यात्रियों के लिये अन्य सुविधायें भी उपलब्ध की जानी चाहिये ।

रेलवे सेवा आयोग चार की बजाय ६ या ७ होने चाहियें ताकि आयोग के पास आने वाले लोगों की कठिनाइयां कम हों ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): Ticketless travelling can be checked only if we remove over-crowding in Railways. Moreover there should be a corridor connecting all the compartments. Third class compartments should also have attendants. But it is possible only if we first tackle the problem of overcrowding.

I will mention in detail an incident to which Dr. Lohia referred yesterday. According to the rules, an employee can take part in the elections. In an election held in 1957, an employee took part and he was declared successful. He defeated a congress candidate in the Bhavnagar Municipality elections. But disciplinary action was taken against him, which was most improper on the part of the administration. He had applied for permission but he was told only one day before the actual date of elections that he could not fight the election. So fault clearly lies with the authorities.

Mr. Deputy Speaker: The hon. Member may continue tomorrow.

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौबीसवां प्रतिवदन उपस्थित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २७ फरवरी, १९६४/८ फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 27th February, 1964/Phalguna 8. 1885 (Saka)

GMGIPND—LS III—2397 (Ai) LS—22-5-64—600.